हमारा लक्ष्य
बाल श्रम मुक्त भारत

बालक और किशोर श्रम
(प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को लागू करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
सितंबर, 2017

भावी प्रयोगकर्ता

केंद्रीय या राज्य सरकारों के कानून लागू करने वाले अधिकारी

बाल या किशोर श्रमिकों के माता-पिता/संरक्षक

बाल कलाकारों के माता-पिता/संरक्षक

बाल मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजक

सामाजिक कार्यकर्ता / समुदाय के सदस्य

नियोक्ता

बाह्य कार्यकर्ता

श्रम निरीक्षक

जिला प्रशासन

श्रम विभाग के जिला नोडल अधिकारी

श्रम संघ के कार्यकर्ता/नियोक्ताओं के एसोसिएशन

....

हमारा लक्ष्य
बाल श्रम मुक्त भारत

बालक और किशोर श्रम
(प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को लागू करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
सितंबर, 2017

विषय-सूची

खंड 1 : परिचय		
1.1	दृष्टिकोण (विज़न) और उद्देश्य	1
1.2	मानक प्रचालन प्रक्रिया की आवश्यकता	2
खंड 2 : कानूनी ढांचे को समझना - बाल और किशोर श्रमिक कौन हैं?		
2.1	बाल श्रम क्या है ?	3
2.2	विधान में क्या अपवाद उपलब्ध हैं?	4
2.3	किशोर श्रमिक के लिए निषिद्ध रोजगार क्या है?	6
2.4	यदि किशोर को गैर-खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने की अनुमति दी जाती है, तो कौन-सी शर्तें लागू होती हैं?	6
खंड 3 : बाल श्रम और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रम पर रोक		
3.1	जागरूकता पैदा करना	9
3.2	संस्थाओं का क्षमता निर्माण	10
3.3	एजेंसियों के बीच समन्वय और अभिसरण (कन्वरजेंस)	11
3.4	ज्ञान प्रबंधन	11
खंड 4 : बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों की पहचान और रिपोर्टिंग		
4.1	पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक की पहचान कैसे करें?	13
4.2	सूचना कौन दे सकता है?	14
4.3	शिकायत कहां दर्ज करानी होगी?	14
4.4	शिकायत में किन तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए?	14
4.5	शिकायत की सूचना कैसे दर्ज की जाए?	15
खंड 5 : बचाव से पहले की जाने वाली व्यवस्था		
5.1	बचाव दल का गठन	17

5.2	बचाव की तैयारी	18
खंड 6 : बचाव		
6.1	बचाव के लिए की जाने वाली कार्रवाई	20
6.2	आयु का सत्यापन	21
6.3	पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक को तत्काल सहायता	21
खंड 7 : बचाव से बाद के कार्य		
7.1	पीड़ित बाल/किशोर श्रमिक की सुरक्षा	23
7.2	अभियोजन/जांच को सुदृढ़ करना	24
खंड 8 : पुनर्वास		
8.1	सामाजिक पुनर्वास	26
8.2	शैक्षिक पुनर्वास	27
8.3	आर्थिक पुनर्वास	27
खंड 9 : मॉनिटरिंग		
9.1	श्रम और रोजगार मंत्रालय का मॉनिटरिंग तंत्रः पेंसिल (PENCIL) पोर्टल	29
9.2	जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग तंत्र	30
खंड 10 : अलग-अलग अवस्थाओं में प्रर्वतन एजेंसियों और अन्यों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व		
क.	जिला नोडल अधिकारी	32
ख.	पुलिस/विशेष किशोर पुलिस अधिकारी	34
ग.	जिला मजिस्ट्रेट	36
घ.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटी के परियोजना निदेशक	38
ड़	राज्य संसाधन केंद्र / राज्य श्रम विभाग	39
च.	राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	40
छ.	बाल कल्याण समिति	41
ज.	शिक्षा विभाग और विद्यालय	42
	अनुबंध : बाल श्रम संबंधी शिकायतों का प्रवाह पथ और पेंसिल (PENCIL) पोर्टल पर किए जाने वाले कार्य	43
	संक्षिप्तियों की सूची	44

संतोष कुमार गंगवार
SANTOSH KUMAR GANGWAR

सत्यमेव जयते

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110119
MINISTER OF STATE
LABOUR & EMPLOYMENT
(INDEPENDENT CHARGE)
GOVERNMENT OF INDIA
SHRAM SHAKTI BHAWAN
NEW DELHI - 110119

संदेश

हम यह स्वीकार करते हैं कि बच्चे देश की सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति होते हैं और उनकी उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करना नए भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की पहली प्राथमिकता है। बाल श्रमिकों के जोखिमों से लड़ना भी इस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और सरकार ने इसके लिए बहुनियंत्रित कार्य-नीति अपनाई है, जिसमें कठोर विधान और परियोजना आधारित उपागम दोनों शामिल हैं, लेकिन बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के रूप में इसके पहलुओं पर और बल देने की आवश्यकता है। इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन या कार्य अब पूर्णतः निषिद्ध है और एक कदम आगे बढ़ते हुए खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों (14 से 18 वर्ष की आयु) का नियोजन भी निषिद्ध कर दिया गया है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए हाल में की गई पहलों की गति को बनाए रखना होगा, क्योंकि बाल श्रम समाप्त करना वर्ष 2025 तक संपोषणीय विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाल श्रम समाप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता न्यूनतम आयु के संबंध में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 138 और बाल श्रमिक के सबसे खराब रूप के संबंध में अभिसमय संख्या 182 का अनुसमर्थन करके हमारे द्वारा पुन: पुष्टि की गई है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के विधायी ढांचे को लागू करने के लिए विशिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रिया भी जारी की गई है। मुझे विश्वास है कि यह मानक प्रचालन प्रक्रिया सभी के लिए विशेषत: प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और बाल श्रम मुक्त भारत के स्वप्न को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी।

(संतोष कुमार गंगवार)

120, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली - 110001 दूरभाष : +91-11-23717515, 23710240 फैक्स : +91-11- 23711708
120, Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001 Phone : +91-11-23717515, 23710240 Fax : +91-11- 23711708
बरेली कैम्प ऑफिस : टेलिफैक्स : 0581-2577777, 2545555 Bareilly Camp Office : Telefax : 0581-2577777, 2545555

एम. सत्यवति, आई०ए०एस०
भारत सरकार के सचिव
M. SATHIYAVATHY, I.A.S.
Secretary to Govt. of India

सत्यमेव जयते
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
SHRAM SHAKTI BHAVAN
NEW DELHI - 110001

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली-110001
Tele : 91-11-23 71 02 65
Fax : 91-11-23 35 56 79
E-mail :secy-labour@nic.in

प्रस्तावना

जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान बाल श्रमिकों की संख्या में कमी आई है | फिर भी, सभी बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा तक उनकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने में कुछ अंतरालों का समाधान आवश्यक था। विद्यमान विधायी अंतराल का समाधान करने के लिए एक कठोर कदम के रूप में भारत सरकार ने बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 बनाया है, जिसमें सभी प्रकार के कार्यों में बच्चों (14 वर्ष से कम) के नियोजन को निषिद्ध करना और किशोरों (14 से 18 वर्ष तक) के लिए खतरनाक रोजगार में उनके नियोजन को निषिद्ध करने सहित उनके लिए कार्य को विनियमित करना भी शामिल है। संशोधित अधिनियम में आरटीई अधिनियम, 2009 के अधीन अनिवार्य शिक्षा की आयु को बालक श्रम प्रतिषेध की आयु से जोड़कर इस सांविधानिक दायित्व को और बढ़ा दिया है। इस संसोधन से वर्ष 2015 में पूरे विश्व के देशों द्वारा अपनाए गए संधारणीय विकास लक्ष्य जैसे अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है, जिसमें वर्ष 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। ये विधायी परिवर्तन बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 182 और न्यूनतम आयु के संबंध में अभिसमय संख्या 138 जैसे अंतरराष्ट्रीय विनियमों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में और सहायक सिद्ध हुए हैं।

इन विधायी परिवर्तनों के साथ जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त संस्थागत तंत्रों को तैयार किया गया है, ताकि अलग-अलग मामलों की मानीटरिंग और उत्तरदायित्व के लिए पुनर्वास योजना और केंद्रीयकृत डेटाबेस को अद्यतन करके पहचान और बचाव कार्य किया जा सके।

सख्त नीति और संस्थागत ढांचे के बावजूद ज्ञान के प्रसार, कार्यान्वयन और केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी तंत्रों की बाल श्रम के प्रति पुराने रवैए के कारण होने वाली चुनौतियाँ भारत में बच्चों के रोजगार के लिए काफी अनुकूल स्थितियां पैदा करती हैं। इस मानक प्रचालन प्रक्रिया का उद्देश्य प्रशिक्षकों, व्यवसाइयों और मानीटरिंग एजेंसियों के लिए एक रेडी रैकनर तैयार करना है, ताकि बाल श्रम का संपूर्ण निषेध हो सके और किशोरों को खतरनाक श्रम से सुरक्षा प्रदान की जा सके तथा अंततः भारत को बाल श्रम मुक्त किया जा सके।

म. सत्यवति

(म. सत्यवति)

राजीव अरोड़ा, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23716835

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110119
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA
SHRAM SHAKTI BHAWAN, RAFI MARG,
NEW DELHI-110119

आभार

बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए इस मानक प्रचालन प्रक्रिया को तैयार करने के लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में हमें अपना अमूल्य योगदान दिया है।

इस मानक प्रचालन प्रक्रिया को तैयार करने में बाल श्रम के क्षेत्र में योगदान देने वाले संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, संस्थाओं, विशेषज्ञों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधित्व वाली श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित समिति के विशेषज्ञ सदस्यों से प्राप्त जानकारी से अत्यधिक लाभ हुआ है। बचपन बचाओ आंदोलन, सेव द चिल्ड्रन और प्रयास के सदस्यों के महत्वपूर्ण योगदान, बाल श्रम के जोखिम को समाप्त करने के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने के उनके सुदीर्थ अनुभव से मिले उनके अमूल्य योगदान और उनके द्वारा इस मानक प्रचालन प्रक्रिया को तैयार करने में इस मंत्रालय को दिए गए सहयोग के लिए हम उनके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहेंगे।

हम सिविल सोसाइटी और अन्य संगठनों के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस मानक प्रचालन प्रक्रिया के प्रारूप के संबंध में अपने मूल्यवान सुझाव/टिप्पणियां दी हैं, ये सुझाव, इस मानक प्रचालन प्रक्रिया में सुधार करने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे।

हमें आशा है कि इस मानक प्रचालन प्रक्रिया में की गई परिकल्पना के अनुसार इस प्रक्रिया में सरल तरीके से संबंधित स्टेकहोल्डरों की सभी कार्यप्रणालियों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया जाएगा, ताकि यह बाल श्रम को समाप्त करने के लिए विधायी ढांचे को लागू करने का प्रभावी साधन हो।

राजीव अरोड़ा

(राजीव अरोड़ा)

खंड.1: परिचय

बाल श्रम, बालक को काम पर लगाने की ऐसी प्रणाली है, जिसमें बालक को या उस बालक पर नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी भुगतान या लाभ के लिए किसी व्यक्ति को उस बालक द्वारा श्रम या सेवा प्रदान करनी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने "बाल श्रम" शब्द का प्रयोग 15 वर्ष की आयु से कम के बालक द्वारा किए जाने वाले सभी आर्थिक क्रियाकलापों के लिए किया हैं। बशर्ते उनकी व्यावसायिक स्थिति (मजदूरी कमाने वाला, अपना स्वयं का कार्य करने वाला, अवैतनिक पारिवारिक कामगारों आदि के रूप में) कार्य करने वाली हो, न कि उनके माता-पिता के घर में उनके द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य, सिवाय इसके जहां ऐसे कार्य को आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल किया जा सकता हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई बच्चा ऐसे कार्य के लिए अपना पूरा समय लगाए, ताकि उसके माता-पिता अपने घर से बाहर रोजगार कर सकें और जिस वजह से वह विद्यालय जाने की संभावना से वंचित होता हो।

बाल श्रम में ऐसे बच्चे शामिल हैं, जो अपरिपक्व अवस्था में वयस्कों का जीवन जी रहे हैं, थोड़ी मजदूरी के लिए कई घंटे तक कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों में काम कर रहे हैं जिससे उनके स्वास्थ्य और उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास को नुकसान पहुंच रहा है। कभी-कभी उन्हें अपने परिवारों से अलग रहना पड़ता है और उन्हें ऐसी सार्थक शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी अवसरों से बार-बार वंचित होना पड़ता है, जिनसे उनके लिए बेहतर भविष्य की संभावना बनती हो।

भारत हमेशा ऐसे सांविधिक, कानूनी और विकास के उपायों के लिए प्रयत्नशील रहता है, जो भारत में बाल श्रम समाप्त करने के लिए अपेक्षित है। ऐसे कई कानून हैं, जो इस विषय पर लागू होते है। यह मानक प्रचालन प्रक्रिया सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में कार्य करेगी और इसके अलावा बाल श्रम को समाप्त करने की प्रक्रिया में इसके सभी प्रयोक्ताओं के लिए भी यह तत्काल संदर्भ के रूप में प्रभावी साबित होगा।

1.1 दृष्टिकोण (विज़न) और उद्देश्य'

दृष्टिकोण (विज़न): सभी कार्यों में बाल श्रम और खतरनाक कार्यों में किशोर श्रम को पूर्णत: समाप्त करना और किशोर श्रम का विनियमन करना।

उद्देश्य: मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) की परिकल्पना, हस्तक्षेप की अलग-अलग अवस्थाओं में सरकारी, गैर-सरकारी और सिविल सोसाइटी के संगठनों के कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के लिए कानून लागू करने के सक्रिय साधन के रूप में की गई है। मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के माध्यम से कथित दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य तय किए गए हैं:

(क) बाल श्रमिकों और खतरनाक कार्य में लगे किशोर श्रमिकों को रोकने के लिए ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक प्रभावी कार्य योजना तैयार करना।

(ख) बाल श्रमिकों और खतरनाक कार्य में लगाए किशोर श्रमिकों की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए तंत्र तैयार करना।

(ग) मनोरंजन संबंधी उद्योगों और खेल-कूद संबंधी क्रियाकलापों में कार्यरत बच्चों के विनियमन के लिए तंत्र स्थापित करना।

(घ) बाल श्रमिकों और खतरनाक कार्य में लगे किशोर श्रमिकों के सभी मामलों में कठोर जांच सुनिश्चित करना, ताकि अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन को बल मिल सके।

(ङ) स्टेकहोल्डरों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करके स्टेकहोल्डरों द्वारा समन्वित और समरूपी कार्रवाई सुनिश्चित करना और इस तरह पूरे देश में बाल श्रम के उल्लंघन के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का मानकीकरण सुनिश्चित करना।

(च) जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग और उत्तरदायी तंत्र विकसित करना।

1.2 मानक प्रचालन प्रक्रिया की आवश्यकता:

विभिन्न विधानों के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन, क्षैतिज और उर्ध्व दोनों तरीकों से, विभिन्न स्टेक होल्डरों के बीच समन्वय और समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता बाल श्रम मुक्त समाज के महत्वकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहम है। ऐसा देखा गया है कि बहुत अधिक सुरक्षात्मक विधानों के होते हुए भी स्टेक होल्डरों को यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि बाल या किशोर श्रमिकों का पता लगने पर क्या कार्रवाई की जाए। बाल / किशोर श्रमिकों के बचाव के लिए की जाने वाली कार्रवाई और बाद में की जाने वाली उनकी पुनः स्थापना के उपायों से संबंधित विशिष्ट सूचना की आवश्यकता है। कभी-कभी आम लोगों को विधान की भाषा पूरी तरह समझ नहीं आती है, जिससे उसके प्रावधानों को लागू करने में रुकावट आती है। इस कमी के संबंध में यह आवश्यक है कि एक साधारण क्रमिक मानक प्रचालन प्रक्रिया उपलब्ध की जाए, ताकि सुरक्षात्मक विधानों के प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित किया जा सके।

खंड 2: कानूनी ढांचे को समझना - बाल और किशोर श्रमिक कौन है?

2.1 बाल श्रम क्या है?

14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यदि किसी व्यवसाय या किसी प्रक्रिया में नियोजित या कार्यरत पाया जाता है, तो वह बाल श्रम है। किसी भी प्रकार के व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कार्य अथवा नियोजन प्रतिबंधित है और इसके लिए बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन दंड का प्रावधान है।

"हमारा लक्ष्य - बाल श्रम मुक्त भारत"

2.2 विधान में क्या अपवाद उपलब्ध हैं?

अपवादों की तालिका			
	स्थिति	स्थिति की परिभाषा	ऐसे अपवाद / स्थिति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी
क.	यदि बच्चा अपने परिवार या परिवार के उद्यम में सहायता करता है	i. बच्चे का परिवार - माता - पिता - भाई या बहिन - माता का जैविक भाई या बहिन - पिता का जैविक भाई या बहिन अथवा ii. परिवार का उद्योग - कार्य - व्यवसाय - विनिर्माण या कारोबार जो बच्चे के परिवार के सदस्यों द्वारा निष्पादित किया जाता हो और	i. जो सहायता की गई है, वह ऐसे खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में न हो, जो इस अधिनियम की अनुसूची के भाग-क या भाग-ख में सूचीबद्ध हो। ii. इसमें कोई ऐसा क्रियाकलाप शामिल नहीं होगा, जो बच्चे या उसके परिवार या परिवार के उद्यम के लिए लाभकारी हो। iii. इसमें कोई ऐसा क्रियाकलाप शामिल नहीं होगा, जिसमें वह किसी वयस्क या किशोर के एवज़ में कार्य करता हो। iv. कोई ऐसा क्रियाकलाप शामिल ना हो जिससे उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन हो। उपर्युक्त के अलावा बच्चे द्वारा दिये जाने वाली 'सहायता' पर निम्नलिखित अन्य शर्ते भी लागू होंगी:
		iii. सहयोग से तात्पर्य है: केवल इस तरीके से परिवार की सहायता या सहयोग करना, जो निम्नलिखित से संबंधित न हो: - कोई धंधा, कार्य या व्यवसाय, विनिर्माण या कारोबार	v. बच्चे का परिवार, उस पारिवारिक उद्यम का स्वामी होना चाहिए। vi. सहायता कार्य विद्यालय के समय के दौरान या 7:00 बजे अपराह्न और 8:00 बजे पूर्वाह्न के बीच निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए। vii. उसे पर्याप्त विश्राम दिया जाएगा और एक बार में लगातार तीन घंटे से अधिक सहायता कार्य नहीं लिया जाएगा।

		- या बच्चे अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को किसी अदायगी या हितलाभ के लिए हो, जो बच्चे पर नियंत्रण रखता हो। - और जो बच्चे की संवृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास को हानि पहुंचाता हो।	viii. बच्चे की निम्नलिखित बातों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा या उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा - शिक्षा का अधिकार - स्कूल में उपस्थिति - होमवर्क या पाठेतर क्रियाकलापों जैसे शैक्षिक या अन्य संबंधित क्रियाकलाप
ख.	किसी श्रव्य-दृश्य मनोरंजन उद्योग में कलाकार के रूप में कार्यरत होना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं- - विज्ञापन - फिल्म - टेलिविजन - सीरियल्स - ऐसे अन्य मनोरंजन या खेलकूद संबंधी क्रियाकलाप	i. इसमें आर्थिक लाभ के लिए किए जाने वाले सर्कस या गली-मोहल्लों में आयोजित किए जाने वाले नाटकों में अभिनय शामिल नहीं होंगे। ii. इसमें निम्नलिखित ऐसे अन्य क्रियाकलाप शामिल होंगे,जिसमें बच्चा स्वयं भाग ले रहा हो: - खेलकूद प्रतियोगिता या समारोह अथवा ऐसी प्रतियोगिता या समारोह का प्रशिक्षण - सिनेमा, वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री), प्रश्नोत्तरी, रिऐलिटी शो, टैलेंट शो जैसे टेलिविजन शो या रेडियो कार्यक्रम - नाटक, सीरियल्स - किसी शो या समारोह का सूत्रधार - अन्य कलात्मक प्रस्तुतियां, जिन्हें केंद्र सरकार अलग-अलग मामलों में अनुमति देती है।	i. कार्य के घंटे: एक दिन में 5 घंटे, बिना विश्राम किए लगातार 3 घंटे से अधिक नहीं। ii. फार्म सी में अनुमति: - जारी करने की तारीख से 6 माह तक विधिमान्य - इसमें उन प्रावधानों का उल्लेख किया जाएगा, जो निम्नलिखित के लिए उपलब्ध हों: ▪ प्रत्येक प्रस्तुति के लिए अधिकतम 5 बच्चों पर एक जिम्मेदार व्यक्ति ▪ शिक्षा ▪ संरक्षा ▪ यौन अपराध से सुरक्षा और बच्चों के प्रति ऐसे किसी अपराध की सूचना देने के लिए तंत्र ▪ बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ▪ पौष्टिक आहार ▪ सुरक्षित और स्वच्छ शेल्टर ▪ बच्चे को 27 दिन से अधिक लगातार कार्य नहीं करना होगा। iii. बच्चे की कमाई का 20 प्रतिशत बच्चे के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा और उसके वयस्क होने पर उसके खाते में डाला जाएगा।

		iii. बच्चों को लेने वाले श्रव्य-दृश्य उत्पादन गृहों (प्रोडक्शन हाउस) के प्रोड्यूसर अथवा किसी वाणिज्यिक समारोह के प्रबंधक को केंद्र सरकार के नियमों में दिए गए फॉर्म सी में जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य रूप से लेने की बात इसमें शामिल है।	iv. बच्चों की प्रतिभागिता वाले सभी श्रव्य-दृश्य मनोरंजन शुरू में यह कथन करते हुए डिस्क्लेमर जारी करेंगे 'कि बच्चों की प्रतिभागिता के लिए उचित अनुमति ली गई है और उनके साथ दुराचार, उनके प्रति लापरवाही और उनके शोषण के विरुद्ध उनकी सुरक्षा भारत के कानून के अनुसार सुनिश्चित की गई है'।

इसके अलावा, यदि कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ाई कर रहा हो और वह ऐसे विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को सूचित किए बिना लगातार 30 कार्य दिवसों से अधिक समय तक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियुक्त जिला नोडल अधिकारी को उसकी सूचना देनी होगी।

2.3 किसी किशोर श्रमिक के लिए निषिद्ध रोजगार क्या है?

14 से 18 वर्ष की आयु समूह के किसी किशोर को बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में दिए गए खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं की अनुसुची के भाग-क में उल्लिखित किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य या नियोजन निषिद्ध है।

2.4 यदि किशोर को गैर-खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने की अनुमति दी जाती है, तो कौन-सी शर्तें लागू होती हैं?

अधिनियम की अनुसूची के भाग 'क' में उल्लिखित व्यवसायों या प्रक्रियाओं से भिन्न सभी अन्य व्यवसाय या प्रक्रियाओं में किशोर के कार्य अथवा नियोजन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

कार्य के घटक	लागू शर्तें
कार्य के घंटे	1. वह उस प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी के लिए निर्धारित घंटों से अधिक घंटों तक कार्य नहीं कर सकता है। 2. उपर्युक्त बिंदु 1 में किए गए उल्लेख के अलावा कार्य की कोई अवधि निर्धारित नहीं की जाएगी, लेकिन कोई भी किशोर 3 घंटे से अधिक लगातार कार्य नहीं करेगा, इस प्रकार कोई भी किशोर बिना विश्राम किए 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। 3. कार्य की कोई भी अवधि किसी एक दिन में 6 घंटे से अधिक नहीं होगी। 4. यह अवधि 7:00 बजे अपराह्न और 8:00 बजे पूर्वाह्न के बीच नहीं हो सकती है। 5. वे समयोपरि कार्य नहीं कर सकते हैं। 6. उसी दिन किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर सकता है, जिस दिन उसने किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्य किया हो।
साप्ताहिक अवकाश	1. प्रत्येक किशोर को सप्ताह में एक पूरे दिन का अवकाश दिया जाएगा। 2. ऐसे अवकाश के विशिष्ट दिन को संगठन में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। 3. प्रत्येक तीन माह में ऐसे दिन को एक बार से अधिक नहीं बदला जाएगा।
श्रम निरीक्षक को दी जाने वाली सूचना	1. किशोर को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को अपने प्रतिष्ठान के बारे में निम्नलिखित सूचना स्थानीय सीमाओं के अंदर श्रम निरीक्षक को भेजनी होगी: - प्रतिष्ठान का नाम और स्थान - प्रतिष्ठान के वास्तविक प्रबंधक वर्ग में शामिल व्यक्तियों के नाम पता, जिस पर संबंधित सूचना भेजी जाएगी - प्रतिष्ठान में किए जाने वाले व्यवसाय या प्रक्रिया का ब्योरा 2. उपर्युक्त सूचना प्रतिष्ठान में किशोर के नियोजन शुरू करने के 30 दिन के अंदर भेजी जानी चाहिए।

आयु संबंधी विनियम	1. श्रमिकों का निरीक्षण करने के दौरान निरीक्षक ऐसे प्रत्येक मामले में जहां वह पूरी तरह आश्वस्त न हो कि नियोजित व्यक्ति 14 वर्ष से कम का बच्चा है या ऐसा किशोर है जिसे खतरनाक व्यवसाय में लगाया गया है, तो वह निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए आयु प्रमाण-पत्र को दिखाने के लिए कह सकता है। 2. यदि ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध न हो, तो निरीक्षक संबंधित बच्चे या किशोर की आयु का पता लगाने के लिए उसे निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के पास भेज सकता है।
रजिस्टर रखना	ऐसे सभी प्रतिष्ठान, जहां किशोरों को नियोजित किया जाता है या कार्य करने की अनुमति दी जाती है, नियमों में निर्धारित तरीके से एक रजिस्टर मेन्टेन करेंगे।
स्वास्थ्य और संरक्षा	किशोर का स्वास्थ्य और उसकी संरक्षा इस अधिनियम की धारा-13 की उप-धारा (2) के बिंदु (क) से (भ) के संबंध में सुनिश्चित की जाएगी।

खंड 3: बाल श्रम और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रम पर रोक

बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 और संशोधित केंद्रीय नियमावली में बाल श्रम और खतरनाक रोजगारों में लगे किशोर श्रम पर रोक लगाने पर ध्यान दिया गया है। ऐसी रोक का एक महत्वपूर्ण पहलू बालकों को मजदूरी करने से एवं किशोरों को खतरनाक कार्यों में काम करने से रोकने का उपाय करना है। इसके लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा लगातार और अग्रलक्षी जांच करनी होगी, ताकि अपराध का जल्दी पता लगाया जा सके और अपराध घटित होने से पहले या पारगमन के समय अपराध का पता लगने पर बाल श्रम को रोकने के लिए सबूत एकत्र किए जा सकें। किसी भी क्षेत्र की निवारण संबंधी कार्यनीति, समुदाय के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आसूचना एकत्र करने के लिए नेटवर्क तैयार करने, विद्यमान डेटा का विश्लेषण करने और अभिनिर्धारित मुख्य संवेदनशील संकेतों से लगातार सूचना एकत्र करके विकसित करनी होगी।

निवारण संबंधी क्रियाकलापों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

3.1 जागरूकता पैदा करना :

नियमावली के नियम 2क के अनुसार सामान्य जनता और संवेदनशील समुदाय में बाल श्रम को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता के संबंध में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए विशेष प्रक्रिया अभिनिर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं :

- टेलिविजन और / या रेडियो आदि जैसे लोक, पारंपरिक और जन माध्यमों का उपयोग करते हुए आम जनता, उपभोक्ताओं, संवेदनशील समुदायों, नियोक्ताओं आदि के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।

- पुलिस, चाइल्ड लाइन तथा श्रम विभाग के स्थानीय जिला नोडल अधिकारी के टेलीफोन नंबर तक पहुंच की सुविधा देकर रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।

- अधिनियम और नियमावली के प्रमुख प्रावधानों को आसानी से समझे जाने वाले तरीकों से सार्वजनिक स्थानों में लिखना और प्रदर्शित करना।

- पंचायत, महिला समूह, बाल समूह, विद्यालयों, अध्यापकों आदि जैसे सार्वजनिक और सामुदायिक संसाधनों को सशक्त और समर्थ बनाना, ताकि किसी भी उल्लंघन के बारे में उनमें जागरूकता पैदा की जा सके। बालकों और किशोरों में विद्यालय के स्तर पर या स्ट्रीट प्ले, प्रतियोगिता संबंधी क्रियाकलापों और लोक संगीत संबंधी क्रियाकलापों आदि जैसे मिड-मीडिया क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता पैदा की जा सकती है।

- वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, न्यायिक प्रशिक्षण संस्थानों, बिजनेस स्कूलों, लॉ स्कूलों आदि के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता और सहयोग देना, ताकि बाल और किशोर श्रम संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी उनके पाठ्यक्रमों में शामिल की जा सके।

- जिला प्रशासन द्वारा उद्योगों या संस्थाओं के नियोक्ताओं/अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि उनमें कानूनी सजगता पैदा की जा सके और बाल श्रम को समाप्त करने में उनकी भूमिका निश्चित की जा सके।

3.2 संस्थाओं का क्षमता निर्माण:

संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए उनमें निर्धारित संस्थागत तंत्र स्थापित करना व संस्थाओं का क्षमता निर्माण करना भी एक पूर्व आवश्यकता है, ताकि बाल श्रम और खतरनाक रोजगारों में किशोर श्रम पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

- प्रत्येक जिले में बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 के नियम 17 ग (iii) के अधीन जिला कार्यबल (डीटीएफ) का गठन करना, जिसमें निर्धारित संख्या में सदस्य हों और जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट हों। कार्यबल की बैठक महीने में एक बार होगी और उसके द्वारा जिले के बाल श्रम संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा (पता लगाने के लिए एनसीएलपी सर्वेक्षण, बंधुआ श्रमिक, पुनः स्थापना योजना और/ या स्थानीय सीडब्लूसी आदि से प्राप्त सूचना का उपयोग किया जा सकता है)। कार्यबल जागरूकता पैदा करने, मॉनिटरिंग करने और बाल श्रम तथा खतरनाक रोजगार में किशोर श्रम पर रोक लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक क्रियाकलापों का समन्वय करेगा।

- श्रम विभाग/जिला मजिस्ट्रेट एक जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो ''पेंसिल'' पोर्टल पर बाल श्रम के मामलों पर नज़र रखेगा और बाल श्रम तथा खतरनाक रोजगारों में किशोर श्रम पर रोक लगाने के लिए जिला कार्यबल (डीटीएफ) की मासिक बैठक में आवश्यक क्रियाकलापों की सिफारिश करेगा।

- ऑनलाइन पोर्टल ''पेंसिल'' के माध्यम से बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों से संबंधित शिकायतों पर लगातार नज़र रखी जाएगी। जिला नोडल अधिकारी सभी शिकायतों, अन्य स्रोतों से भी प्राप्त, को पेंसिल पोर्टल पर दर्ज करेगा एवं पोर्टल के चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से बच्चों अथवा किशोरों के कार्य अथवा रोजगार में पुनः प्रवेश का निवारण सुनिश्चित कर सकेगा और विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी।

3.3 एजेंसियों में समन्वय और अभिसरण (कन्वरजेंस):

जिला, राज्य और केंद्र की विभिन्न बाल सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना बाल श्रम के निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय- बाल श्रमिकों का पता लगाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्प लाइन, सर्वेक्षणों या पोर्टलों से सूचना लेना।

- विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ समन्वय- ऐसे बच्चों के संबंध में विद्यालय के स्तर पर सूचना प्राप्त करना, जो लगातार 30 दिन तक विद्यालय से अनुपस्थित रहे हों और सभी बच्चों का नामांकन तथा स्कूल में बने रहना सुनिश्चित करना और राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर पाठ्यक्रमों और शैक्षिक सामग्री में बाल श्रमिकों के बारे में सूचना शामिल करना, बाल श्रम निवारण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।

- जिला बाल सुरक्षा इकाई (डीसीपीयू), विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू), चाइल्ड लाइन, जिला मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, आईसीपीएस के अधीन ग्राम-स्तरीय बाल सुरक्षा समिति, आईटीपीए अधिनियम, 1986 के अधीन जिला-स्तरीय सतर्कता समिति, जिला कार्यबल (डीटीएफ) के माध्यम से विद्यालय और पंचायत जैसे अन्य एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय और कार्य करना।

- स्थानीय कौशल विकास विभाग के साथ समन्वय और अभिसरण से युवाओं का कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है, ताकि उन्हें खतरनाक रोजगार में लगने से बचाया जा सके।

3.4 ज्ञान प्रबंधन:

विद्यमान ज्ञान का प्रबंधन करना और डेटा चालित योजना के लिए पर्याप्त सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना बाल श्रम को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

- एनसीएलपी सर्वेक्षण से बाल श्रमिकों तथा खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है एवं क्षेत्र में इस समस्या की संवेदनशीलता का आंकलन किया जा सकता है।

- उपर्युक्त सूचना और सीडब्लूसी से प्राप्त सूचना को सुनिश्चित रूप से इसे "पेंसिल" में डाला जाए और उसके पश्चात् भौगोलिक क्षेत्रों तथा रोजगार आदि के क्षेत्रों की संवेदनशीलता का विश्लेषण किया जाए, ताकि निवारण संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा सके और खतरनाक रोजगार के नये रूपों का पता लगाया जा सके, जहां किशोरों को कार्य एवं बच्चों को सहायता नहीं करनी चाहिए । ऐसा करना बाल श्रम निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

- खोए हुए बच्चों के डेटाबेस से एकत्र की गई सूचना का विश्लेषण करना।

- पूर्व में कार्य से छुड़ाए गए बच्चों से प्राप्त जानकारी भी संभावित उल्लंघनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो सकती है।

- पारगमन बिंदु और गंतव्य क्षेत्रों में कार्यरत स्टेकहोल्डरों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ सशक्त नेटवर्क तैयार करना बाल श्रम के निवारण हेतु डेटा एकत्र करने में सहायक होगा।

कुछ ऐसे स्थानों की निदर्शी (इलस्ट्रेटिव) सूची, जहां बाल श्रम तथा बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी। ध्यान रहे कि यह सूची संपूर्ण नहीं है।

i. रेल के डिब्बे और रेलवे स्टेशन
ii. बड़े बस स्टेशन
iii. टोल प्लाज़ा
iv. पोत और पोत प्राधिकरण
v. हवाई अड्डे
vi. शॉपिंग सेंटर, बाज़ार, सिनेमा हॉल, होटल, अस्पताल सहित सभी सार्वजनिक स्थल
vii. पंचायत घर, पुलिस स्टेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र
viii. विद्यालय, शिक्षा संस्थान
ix. न्यायालय परिसर और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सभी प्राधिकारियों के कार्यालय

खंड 4 : खतरनाक रोजगार में लगे बाल श्रमिकों और किशोर श्रमिकों की पहचान और रिपोर्टिंग

- पहचान, उस प्रक्रिया का पहला चरण है, जिससे बाल श्रमिक का पता लगाया जा सकता है, ताकि उस तक पहुंचा जा सके, उसे उचित और सुरक्षित सहायता दी जा सके तथा सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकें और अंततः बाल श्रम पीड़ित के रूप में उसकी आधिकारिक पहचान की जा सके।

4.1 पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक की पहचान कैसे करें?

बाल श्रमिकों और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित किशोर श्रमिकों की पहचान के लिए निम्नलिखित स्रोतों से सूचना प्राप्त की जा सकती है:

सर्वेक्षण

- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
- बंधुआ मजदूर योजना
- विद्यालय में न जाने वाले बच्चे-शिक्षा विभाग (एचआरडी)
- जिला बाल संरक्षण इकाइयों और राज्य बाल संरक्षण इकाइयों के द्वारा किया गया आवश्यकता मूल्यांकन

अग्रलक्षी जांच

- जिला कार्यबल
- जिला श्रम विभाग के अधिकारी
- जिला मजिस्ट्रेट
- जिला नोडल अधिकारी
- पुलिस

संस्थागत शिकायत

- पेंसिल पोर्टल www.pencil.gov.in पर
- चाइल्ड लाइन पर -1098
- एनसीएलपी परियोजना सोसाइटी द्वारा
- जिला नोडल अधिकारी द्वारा
- एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर, एनएचआरसी, एसएचआरसी, एनएएलएसए, एसएलएसए, बीएलएसए, सीडब्लूसी से

अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायत

- नियोक्ता एसोसिएशन और श्रमिक संघों से
- गैर सरकारी संगठनों से
- माता-पिता और रिश्तेदारों से
- 30 दिन तक की अनुपस्थिति के संबंध में अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यों से
- पीड़ित द्वारा स्वयं सूचित किए जाने से
- कोई अन्य व्यक्ति

4.2 सूचना कौन दे सकता है?

कोई भी व्यक्ति, सिविल सोसाइटी का सदस्य, संस्था या संगठन बाल श्रमिकों या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों से संबंधित घटना की रिपोर्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय के पेंसिल पोर्टल पर, टेलीफोन पर, पत्र भेजकर, लिखित शिकायत करके, ई-मेल पर, हेल्पलाइन पर, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य माध्यम से दे सकता है।

4.3 शिकायत कहां दर्ज करानी होगी?

किसी भी व्यक्ति के पास यदि बाल श्रम के बारे में कोई सूचना हो, तो वह निम्नलिखित एजेंसियों से संपर्क कर सकता है:

रिपोर्टिंग एजेंसी					
'पेंसिल' पोर्टल का शिकायत कॉर्नर	कोई पुलिस स्टेशन / एसजेपीयू	जिला मजिस्ट्रेट के अधीन जिला कार्यबल	राज्य श्रम विभाग / श्रम निरीक्षक	चाइल्ड लाइन (1098)	जिला नोडल अधिकारी

ये एजेंसियां शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर सीधे कार्यस्थल का दौरा करके या जिला कार्यबल द्वारा अभिनिर्धारित स्रोतों के माध्यम से शिकायत का सत्यापन करेंगी। यदि शिकायत वाजिब पाई जाती है, तो सभी एजेंसियों को पुलिस विभाग में शिकायत दायर करनी होगी, जो बचाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

'पेंसिल' पोर्टल पर शिकायत करने की प्रक्रिया अनुबंध में दी गई है। जिला नोडल अधिकारियों और उनके टेलीफोन की अद्यतन सूची पेंसिल पोर्टल पर उपलब्ध है।

4.4 शिकायत में किन तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए?

लिखित शिकायत में उस स्थान का विवरण दिया जाना चाहिए, जहां बाल / किशोर श्रमिक कार्य कर रहा है, कार्यस्थल का पता, नियोक्ता का नाम, संदिग्ध बाल / किशोर श्रमिक का नाम एवं संभावित आयु और यदि संभव हो तो बाल / किशोर श्रमिक का चित्र ।

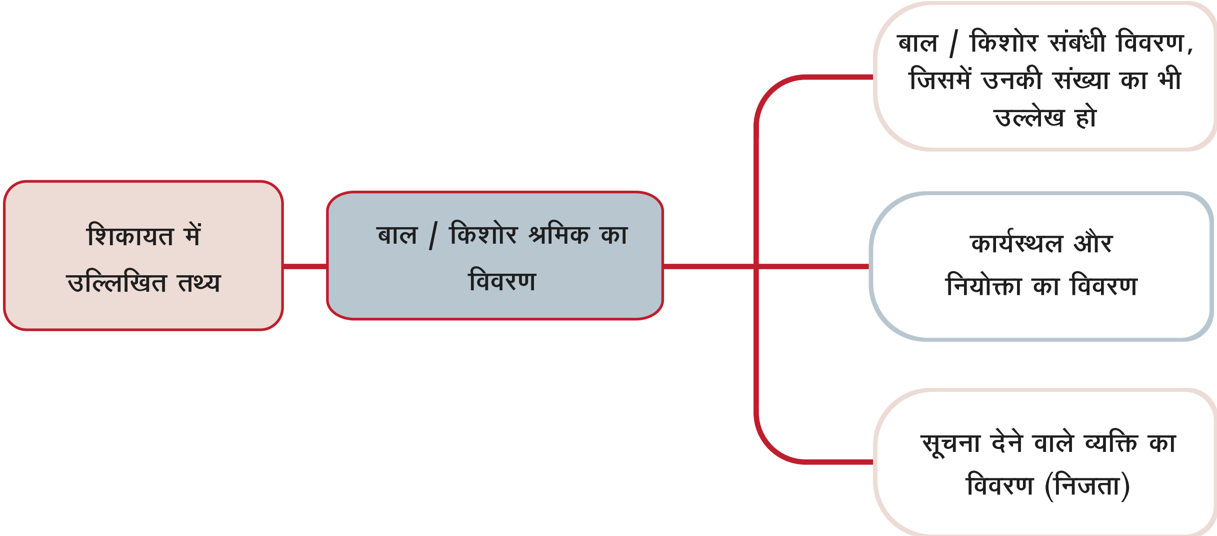

4.5 शिकायत की सूचना कैसे दर्ज की जाए?

शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस शिकायत दर्ज करते समय इस अपराध से संबंधित संगत कानूनों का उल्लेख करेगी, जिसमें बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के निम्न प्रावधान भी शामिल है:

धारा-14	अपराध	दंड
(1)	बच्चे को कार्य पर लगाना या किसी कार्य को करने के लिए बच्चे को अनुमति देना	कम से कम 6 माह की अवधि का कारावास, लेकिन जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या इसके अलावा कम से कम 20,000 रुपये का जुर्माना, लेकिन जिसे 50,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा ये दोनों दंड (लेकिन इस धारा के अधीन माता-पिता या संरक्षक को दंडित नहीं किया जा सकता है)।
(1क)	किसी किशोर को काम पर लगाना या अनुसूची के भाग क में सूचीबद्ध खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने के लिए किशोर को अनुमति देना	कम से कम 6 माह की अवधि का कारावास, लेकिन जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या इसके अलावा कम से कम 20,000 रुपये का जुर्माना, लेकिन जिसे 50,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा ये दोनों दंड (लेकिन इस धारा के अधीन माता-पिता या संरक्षक को दंडित नहीं किया जा सकता है)।
(2)	उपर्युक्त धाराओं के अधीन अपराध को दोहराना	कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कारावास, लेकिन जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(2क)	माता-पिता, जो इस अपराध को दोबारा करते हैं।	जुर्माना, जिसे 10000 रुपये तक लगाया जा सकता है।
3	इस अधिनियम की किसी अन्य धारा, जिसमें किशोर के लिए कार्य करने की शर्तें शामिल हैं, का उल्लंघन।	1 माह का कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों।

अन्य कानूनों में दिए गए प्रावधान

बाल श्रम के मामले में बच्चों का दुर्व्यापार, नियोजन के दौरान बच्चों के प्रति अपराध, बंधुआ मजदूरी जैसे विभिन्न कानूनों की धाराएं, जो कि सामने दी गईं हैं, लगाई जा सकती हैं।	आईपीसी की धारा 370, 370क, 342, 343, 344, 363क और 374
	जेजे अधिनियम 2015 की धारा 74-88, 80-85, 87, 42 और 33-34 (बच्चों के मामले में)
	बीएलएसए 1976 की धारा 16-23 एससी / एस टी एक्ट्स़ 3(एच), 3(2) (V)
यदि यौन शोषण का मामला हो तो सामने दी गईं धाराएं भी लगाई जाएंगी।	पीओसीएसओ 2012 की धारा 3 -18 (बच्चों के मामले में) आईपीसी की धारा 342, 343,344,346,354क, 354ख, 354ग, 354घ, 366क, 366ख और 509

खंड 5 : बचाव से पहले की जाने वाली व्यवस्था

प्रत्येक सत्यापित शिकायत के संबंध में -

- स्थिति की संवेदनशीलता का आंकलन करें।
- यदि बच्चे के जीवन, उसकी स्वतंत्रता या सुरक्षा के लिए कोई जोखिम हो या यदि बच्चे को ऐसे कहीं हटाये जाने का अथवा तस्करी का जोखिम हो तो तत्काल कार्रवाई करें, इसके साथ-साथ एफआईआर भी दायर की जा सकती है।
- जिला कार्यबल स्टेकहोल्डरों के ऐसे आपाती दलों का गठन करने के लिए प्रतिमाह एक अनुसूची तैयार करेगा, जिन्हें तत्काल बचाव के लिए बुलाया जा सकता है। इस अनुसूची को सभी प्रतिभागी स्टेकहोल्डरों के साथ साझा किया जा सकता है।

5.1 बचाव दल का गठन:

स्टेकहोल्डरों का एक व्यापक बचाव दल बाल श्रमिकों या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के बचाव के लिए गठित किया जाएगा। कानून लागू करने वाली एजेंसियों, स्वतंत्र गवाहों और बचाव दल में शामिल किए जाने वाले अन्य प्रबुद्ध लोगों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी जा रही है:

क. पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.)

ख. जिला नोडल अधिकारी या श्रम निरीक्षक

ग. जिला मजिस्ट्रेट या उप-जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित (बाल श्रमिकों का मामला बंधुआ श्रमिकों का मामला भी हो सकता है)

घ. सीडब्लूसी/डीसीपीओ / ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति के सदस्य

ङ. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि

च. महिला पुलिस अधिकारी

छ. एनजीओ, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा के प्रतिनिधि और

ज. अनुवादक, काउंसलर आदि

★ याद रखें पीड़ित अर्थात बाल / किशोर श्रमिक की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। अतः जबकि बचाव दल के लिए उपर्युक्त सूची एक व्यापक सूची है और जिला कार्यबल द्वारा उपर्युक्त स्टेकहोल्डरों की उपलब्धता के अनुसार एक अनुसूची तैयार की जा सकती है और प्रयोग में लायी जा सकती है, किन्तु आपात स्थिति के आधार पर पुलिस कार्मिकों द्वारा बचाव कार्य किया जा सकता है।

5.2 बचाव की तैयारी

क) संभारतंत्र संबंधी सहयोगः बचाव दल को यह सुनिश्चित करना होता है कि निम्नलिखित चीजों के रूप में समुचित संभारतंत्र संबंधी सहयोग उपलब्ध है-

- भोजन
- पानी
- वस्त्र और कंबल
- प्राथमिक उपचार वाला चिकित्सा किट (प्रसाधन संबंधी सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं यथा- सेनेटरी नैपकिन आदि)
- अनुवादक, यदि अपेक्षित हो
- निकटतम अस्पताल का नक्शा और आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता की उपलब्धता। साथ ही एक एंबुलेंस की उपलब्धता भी।
- तत्काल शेल्टर के लिए जिला डीसीपीयू या सीडब्लूसी द्वारा अनुमोदित निकटतम बाल देखभाल संस्था या उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त सुविधा वाले स्थान को सूचित करें। यह सुनिश्चित करें कि यह सूचना तत्काल और सुनियोजित बचाव के लिए डीटीएफ के पास हो।

ख) पीड़ित बाल / किशोर श्रमिकों और आरोपियों को अलग-अलग ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन तैयार रखें। इस संबंध में आईसीपीएस, पुलिस या एनसीएलपी योजना के अधीन गठित राज्य संसाधन केंद्र द्वारा सहायता दी जा सकती है।

ग) साक्ष्य एकत्र करनाः बचाव के स्थान से एकत्र किए जाने वाले सभी साक्ष्यों के लिए तैयारी सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए बचाव टीम के साथ समन्वय करें कि जिस टीम को साक्ष्य एकत्र करने का कार्य सौंपा गया है, वह बचाव से पहले बचाव के स्थान के ढांचे के बारे में जानती हो। साक्ष्य एकत्र करने में सहायता हेतु संवेदनशील वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर की व्यवस्था करें।

घ) समुचित चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करनाः निकटतम सरकारी अस्पताल का पता लगाएं और आपात स्थिति में पेशेवर चिकित्सा सहायता की उपलब्धता का पता लगाएं। एक एंबुलेंस हमेशा तैयार रखें। पीड़ित की तत्काल और दीर्घकालिक चिकित्सा आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी प्राधिकृत चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अवैध व्यापार (ट्रैफिकिंग) के पीड़ित को छुड़ाए जाने के बाद मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करने के लिए संसाधनों को चिह्नित करें।

ङ) पीड़ित संरक्षण तंत्र : पीड़ित के लिए निर्धारित बचाव टीम के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव का कार्य करते ही अपराधी से पीड़ित को पृथक करने की योजना तैयार की जाये, ताकि पीड़ित की सुरक्षा की जा सके और साक्ष्यों को भी सुरक्षित रखा जा सके। यदि संभव हो तो पीड़ित को उसके बयान लेने के लिए किसी अन्य स्थान पर ले जाने की व्यवस्था करें। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी संबंधित विभाग, सभी संबंधित विभागों के अधिकारी, जिनमें पुलिस, एसडीएम, श्रम निरीक्षक भी शामिल हैं, उस समय उपस्थित रहें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित को बार-बार अपना बयान नहीं देना पड़े।

च) तत्काल देखभाल और संरक्षण गृहों को सूचित करनाः बचाव टीम को चाहिए कि वह सरकार या गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे अल्पावधि गृह/बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) या किसी उपयुक्त स्थान या छुड़ाए गए व्यक्तियों की संभावित संख्या के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति स्थान अथवा संस्था एवं उस तक पहुंचने के संभावित समय की सूचना दे। बाल कल्याण समिति को विधिवत सूचित किया जाना चाहिए।

छ) पीड़ित की गोपनीयता सुनिश्चित करनाः बचाव टीम को बचाव संबंधी कार्रवाई और छुड़ाए गए व्यक्तियों की गोपनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए। पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित की पहचान जन माध्यमों को तब तक न बताई जाए, जब तक सक्षम विधिक प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा निर्देश न दिए जाएं।

ज) गवाहों की उपस्थितिः बचाव के समय कम से कम दो गवाह उपस्थित रहने चाहिए, जिनमें से कम से कम एक महिला हो।

झ) कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करनाः बचाव दल के साथ जाने के लिए डीएलएसए/एसएलएसए द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले वकील/ विधिव्यवसायी (पैरालीगल) की व्यवस्था करें और यह सुनिश्चित करें कि साक्ष्य एकत्र करने तथा एफआईआर में कानून की धाराएं दर्ज करने के लिए समुचित कानूनी परामर्श दिया जा सके और पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक और उसके परिवार को तत्काल कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।

खंड 6 : बचाव

6.1 बचाव के लिए की जाने वाली कार्रवाई:

★ याद रखें: प्रत्येक बचाव के संबंध में अलग-अलग मामलों के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बचाव टीम को सतर्क रहना चाहिए और प्रत्येक कार्रवाई सभी पीड़ितों अर्थात बाल / किशोर श्रमिकों के बचाव को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। इस दौरान पीड़ितों अर्थात बाल / किशोर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जांच के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए।

1. सामान्य डायरी में उस समय प्रविष्टि करें, जब आप पुलिस स्टेशन से बचाव के लिए निकल रहे हों, इससे यह सुनिश्चित होगा कि श्रोत/ पीड़ित / स्थान संबंधी सूचना के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा।

2. स्थान की भली-भांति तलाशी सुनिश्चित करें, ताकि कोई बालक या किशोर वहां रह न जाए। नकली दरवाजों, छतों, छिपने की जगहों को ध्यान से देखें। पीड़ित अर्थात बाल /किशोर श्रमिक की पहचान छिपाना सुनिश्चित करें।

3. बच्चे को वास्तविक स्थिति की जानकारी दें। यदि आवश्यक हो, तो इसके लिए द्विभाषिया/अनुवादक और एनजीओ के प्रतिनिधियों या डीएलएसए के प्रतिनिधियों की सहायता लें। ध्यान रहे कि बच्चा जो भाषा समझता हो, उसी भाषा का प्रयोग करें।

4. पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक द्वारा किए गए कार्य का साक्ष्य, भोजन के बिलों, टिकटों, दोषी के स्वामित्व वाले वाहनों/संपत्ति के दस्तावेजों, कम्प्यूटर, टेलीफोन, किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक मद, प्रत्येक पीड़ित अर्थात बाल / किशोर श्रमिक के रिकॉर्ड / पहचान-पत्र, दोषी के पहचान-पत्र आदि को एकत्र करें। एक जब्तगी ज्ञापन तैयार करें।

5. उस क्षेत्र का नक्शा तैयार करें। उस स्थान से प्राप्त सामान का उल्लेख करें, जहां आरोपी था और जहां पीड़ित बाल/किशोर श्रमिक आदि थे। इसके समर्थन में फोटोग्राफ/वीडियोग्राफ लें।

6. एक प्रकटन ज्ञापन तैयार करें।

7. जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 74 के अधीन छुड़ाए गए बच्चे की पहचान छिपाने का आदेश दिया गया है (यहां बच्चे से तात्पर्य 18 वर्ष की आयु से कम आयु के व्यक्ति से है)। इस प्रावधान का उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 माह तक का कारावास हो सकता है। छुड़ाए गए बच्चे और किशोर की पहचान छुपाना सुनिश्चित करें।

8. उन परिसरों को सील करें।

6.2 आयु का सत्यापनः

यदि बच्चे/बच्चों की आयु के बारे में नियोक्ता और श्रम निरीक्षक के बीच कोई विवाद हो, तो आयु का सत्यापनः यदि पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक की आयु के बारे में कोई मतभेद हो तो साक्ष्य मांग कर आयु के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएंः

i. विद्यालय से जन्म प्रमाण-पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, यदि उपलब्ध हो और यदि इनमें से कोई न हो, तो-

ii. निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण-पत्र।

iii. उपर्युक्त (i) और (ii) के उपलब्ध न होने की स्थिति में आयु का निर्धारण न्यायालय के आदेश से अस्थिभवन (ओसिफिकेशन) परीक्षण या कोई अन्य अद्यतन चिकित्सकीय आयु निर्धारण परीक्षण से किया जा सकता है।

6.3 पीड़ित बाल/किशोर श्रमिक को तत्काल सहायता

बाल श्रम के पीड़ित को छुड़ाते ही, उसकी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिएः

1. पीड़ितों को अपराधी से पृथक करें और यदि संभव हो तो पीड़ितों को किसी अन्य स्थान पर ले जाएं।

2. उन्हें भोजन, पानी या आवश्यक कपड़े दें।

3. उन्हें नहाने/शौच आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

4. पहले से उपलब्ध चिकित्सा किट का उपयोग करते हुए उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता दें। यदि आवश्यक हो तो पीड़ित को पहले से निर्धारित स्थान पर चिकित्सा परिचर्या के लिए ले जाएं।

5. यदि आवश्यक हो तो यह सुनिश्चित करें कि कोई अनुवादक / द्विभाषिया उपलब्ध हो।

6. वर्तमान स्थिति के बारे में पीड़ित को सहानुभूति और मित्रतापूर्ण तरीके से बताएं और यह बताएं कि निकट भविष्य में क्या होने की संभावना है। यह कार्य सामाजिक कार्यकर्ता या मनोवैज्ञानिक की सहायता से सर्वोत्तम तरीके से किया जा सकता है।

7. इस बात का आंकलन करें कि क्या पीड़ित को तत्काल किसी चिकित्सा (शारीरिक या मनोवैज्ञानिक) की आवश्यकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे यह सुविधा उपलब्ध करें।

8. संवेदनशील तरीके से पीड़ित को स्थिति की जानकारी देने के लिए कानूनी परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करें।

9. ऐसी सेवाओं की सूची तैयार करें, जिन्हें पीड़ित को तत्काल उपलब्ध करने की आवश्यकता है और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें।

10. छुड़ाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के अनुदेशों के अनुसार बाल देखभाल संस्थाओं या उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त सुविधा-गृहों में रखा जाना चाहिए। उन मामलों में जिनमें माता-पिता ने शिकायत दायर की हो, बच्चे की अभिरक्षा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के बाद माता-पिता को सौंपी जा सकती है।

★ याद रखें कि छुड़ाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना होगा या यदि ऐसा संभव न हो तो छुड़ाए जाने से 24 घंटे के अंदर (इसमें यात्रा समय शामिल नहीं है) समिति के किसी सदस्य के समक्ष पेश करना होगा।

"हमारा लक्ष्य - बाल श्रम मुक्त भारत"

खंड 7 : बचाव से बाद के कार्य

7.1 पीड़ित बाल/किशोर श्रमिक की सुरक्षा

- छुड़ाए गए बच्चे की मूलभूत आवश्यकताएं छुड़ाए जाने के तत्काल बाद अवश्य पूरी की जानी चाहिए और बच्चे को स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए और उसकी संरक्षा पुनः सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह बाल और किशोर श्रमिक के साथ विश्वास के निर्माण में सर्वप्रथम और अति महत्वपूर्ण कदम है।

★ याद रखें: पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक को कभी भी अपराधी नहीं समझा जाना चाहिए, उसे कभी भी बंदी-गृह में नहीं रखा जाना चाहिए या उसे अपराधी के साथ कभी भी बातचीत नहीं करने देनी चाहिए। पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक के साथ की जाने वाली बातचीत उसकी सुविधाजनक भाषा में की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक दोषी या उसके किसी प्रतिनिधि से नहीं मिलता है।

i. एफआईआर दर्ज करना: पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कानूनों के संगत प्रावधानों सहित एफआईआर दर्ज की जाए। बाल श्रमिक या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिक अवैध व्यापार (ट्रैफिकिंग), बच्चों के प्रति अपराध, अपहरण, यौन-शोषण आदि के भी शिकार हो सकते हैं। संगत धाराओं के लिए एसओपी का खंड 4.5 देखें। यदि अवैध व्यापार में लगे हों, तो महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 और मनी लान्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन आर्थिक अपराध शामिल करना भी याद रखें।

ii. बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के समक्ष पेश करना : सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो जांच का आदेश देगी, जिसमें चिकित्सा जांच, आयु का निर्धारण, मध्यस्थ देखभाल और सुरक्षा, माता-पिता का पता लगाना या यदि बाल कल्याण समिति बच्चे को उसके माता-पिता के पास भेजना उचित समझे तो उसके घर आदि का सत्यापन किया जाना शामिल किया जा सकता है। सामाजिक जांच की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर दाखिल की जाएगी। इस स्तर पर या जांच की समाप्ति पर बाल कल्याण समिति किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से एफआईआर में अतिरिक्त धाराएं शामिल करने की सिफारिश कर सकती है।

iii. पीड़ित की काउंसलिंग : पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक की काउंसलिंग का कार्य प्रशिक्षित काउंसलर, सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता या गैर सरकारी संगठन या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक को पूरी जानकारी दी जा सके। पीड़ित को पहुंचे मानसिक अभिघात और अपेक्षित सहायता का मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी जानी चाहिए, ताकि वह उसके संबंध में

उपयुक्त आदेश पारित कर सके। पीड़ित के पास जो भी सूचना हो, उसे जांच के लिए प्राप्त किया जाना और उसकी आवश्यकताओं के बारे में अभियोजन और पुनर्वास की सभी अवस्थाओं में सुना जाना सुनिश्चित होना चाहिए।

iv. कानूनी सहायताः पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक को पुलिस स्टेशन में और संरक्षा के स्थल पर कानूनी सहायता दी जाएगी। यदि आवश्यक हो तो डीएलएसए/एसएलएसए और गैर सरकारी संगठनों की सूची में शामिल वकीलों के माध्यम से कानूनी सहायता दी जाएगी। बच्चे के माता-पिता को कानूनी काउंसलिंग और सलाह अवश्य दी जानी चाहिए।

v. पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक का बयान दर्ज करना: उचित मनोवैज्ञानिक-सामाजिक काउंसलिंग के बाद ही मेट्रोपॉलिटेन/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के अनुसार पीड़ित का बयान दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन यह कार्य 14 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों को ध्यान में रखकर सीडब्लूसी न्यायालय द्वारा जारी की गई अनुमति के बाद ही इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

vi. पीड़ित-गवाह की सुरक्षाः पीड़ितों और/या गवाहों द्वारा स्वयं या उनके माता-पिता/संरक्षक द्वारा पुलिस या संबंधित न्यायालय को सुरक्षा संबंधी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर सभी पीड़ित और/या गवाह सुरक्षा के हकदार होते हैं। यह सुरक्षा उस व्यक्ति को भी दी जा सकती है, जिसकी अभिरक्षा में बच्चा हो। किसी अवस्था में पुलिस द्वारा स्वयं अथवा न्यायालय द्वारा अपने विवेक से यह सहायता देने का निर्णय लिया जा सकता है।

vii. आदेशः पीड़ित / गवाह की सुरक्षा से संबंधित सभी आदेश और कार्रवाई अत्यधिक गुप्त और यथावत रखी जाएगी।

viii. पीड़ित-गवाह के बयानः स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को गवाह के बयानों पर लगातार ध्यान देना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गवाह सुरक्षित तरीके से बयान दे पा रहा है। यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित/गवाह को पर्याप्त यात्रा भत्ता और संरक्षित शेल्टर दिया गया है। जहां कहीं व्यवहार्य हो और आवश्यक समझा जाए, विचारण बंद कमरे में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए।

7.2 अभियोजन/जांच सुदृढ़ करनाः

i. छुड़ाए गए बच्चों को सक्षम अधिकारियों और स्टेकहोल्डरों के समर्थन के माध्यम से न्याय और निष्पक्ष व्यवहार तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। पीड़ित बच्चों को आपराधिक कार्यवाही, सिविल कार्यवाही और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति और मजदूरी की हानि के लिए मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। जिला नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह की गई कानूनी कार्रवाई की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करे और उसे पेंसिल पोर्टल पर डाले। पुलिस को चाहिए कि वह

यथा संभव परिश्रम और समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करे। अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 (1-क) के अनुसार यदि अपराध पीओसीएसओ के अधीन दर्ज किया गया हो, तो जहां संभव हो जांच 3 माह के अंदर पूरी की जानी चाहिए और विचारण एक वर्ष के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। आरोप-पत्र यथासंभव शीघ्र दाखिल किया जाना चाहिए और लोक अभियोजक को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

ii. कानून की समुचित धाराओं का आंकलन: जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर मामले के तथ्यों के अनुसार सभी संगत धाराओं का एफआईआर और आरोप-पत्र में अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए। पुलिस इसके लिए लोक अभियोजक, डीएलएसए की सूची में शामिल वकील या पुलिस स्टेशन में नामित विधि व्यवसायी (पैरालीगल) की सेवाओं का उपयोग कर सकती है।

iii. आरोपी की चिकित्सा जांच: सीआरपीसी की धारा 53, 53क और 54 के अधीन आरोपी व्यक्ति की यथा अपेक्षित चिकित्सा जांच की जाए।

iv. शीघ्र विचारण :

- विचारण यथासंभव समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

- जहां कहीं संभव हो संक्षिप्त विचारण: बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम (बीएलएसए) के अनुसार संक्षिप्त विचारण का प्रावधान है। न्यायालय की प्रक्रिया हमेशा पीड़ित अर्थात बाल / किशोर श्रमिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संचालित की जाएगी।

- जमानत की स्थिति को मॉनिटर करना: जहां अतिरिक्त जांच अपेक्षित है या जहां इस बात की संभावना हो कि दोषी जमानत पर रहने के दौरान जांच को प्रभावित कर सकता है, वहां अपराधी को जमानत देने से इनकार करना या उसे रद्द करना संभव है और ऐसे मामले में इसके लिए आवेदन-पत्र दिया जा सकता है।

- पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक की सुविधा अनुसार समयबद्ध विचारण: विचारण पीड़ित की सुविधा अनुसार संचालित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि यह समयबद्ध हो।

खंड 8: पुनर्वास

छुड़ाए गए सभी बाल श्रमिकों और किशोर श्रमिकों का सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा समन्वित एवं सम्मिलित कार्रवाई के माध्यम से पुनर्वास किया जाएगा। जिला नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह सूचक कार्ड तैयार करे और पुनर्वास के तरीके के संबंध में निर्णय ले।

8.1 सामाजिक पुनर्वास:

घर का सत्यापन और घर वापसी:

छुड़ाए गए 18 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों/किशोरों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाए। बाल कल्याण समिति को चाहिए कि वह एक जांच करे, जिसमें घर के सत्यापन की प्रक्रिया और सामाजिक जांच रिपोर्ट भी शामिल की जाए। इसी के आधार पर बाल कल्याण समिति निम्नलिखित के संबंध में आदेश पारित कर सकती है:

- यदि घर का सत्यापन अनुमोदित किया जाता है: यदि घर का सत्यापन अनुमोदित किया जाता है, तो पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक को उसके मूल समुदाय/घर में वापस भेज दिया जाना चाहिए और बाल कल्याण समिति घर वापसी के संबंध में आदेश पारित कर सकती है। बाल कल्याण समिति घर वापसी के लिए अपेक्षित आवश्यक धन संबंधी आवश्यकता के बारे में आदेश पारित कर सकती है और उसे मुहैया करा सकती है। राज्य के अंदर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सुरक्षित घर वापसी के संबंध में बाल कल्याण समिति संबंधित प्राधिकारियों जैसे उस क्षेत्र की बाल कल्याण समिति को सूचित करेगी, जहां बालक/किशोर श्रमिक को भेजा जा रहा है। बाल कल्याण समिति गैर-सरकारी संगठन या एसजेपीयू को आदेश दे सकती है कि वह बालक के साथ जाएं।

- यदि घर का सत्यापन अनुमोदित नहीं किया जाता है: यदि घर का सत्यापन अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो पीड़ित के दीर्घकालिक पुनःस्थापन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि संस्थागत सहायता की आवश्यकता हो, तो बाल कल्याण समिति द्वारा उन्हें निम्नलिखित के पास भेजा जाना चाहिए

    - बाल गृह
    - उपयुक्त कौशल केंद्र
    - उपयुक्त व्यक्ति
    - पालन-पोषण गृह

  उसे तब तक उपर्युक्त स्थानों में रखा जाना जाना चाहिए, जब तक कि वह 18 वर्ष का ना हो। इसके अलावा व्यक्तिगत देखभाल योजना के माध्यम से बाल कल्याण समिति द्वारा उसकी आवधिक मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

- बाल कल्याण समिति प्रत्येक बच्चे के संबंध में पुनर्वास कार्ड जारी करेगी, ताकि उसकी व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर की गई प्रगति को मॉनिटर किया जा सके। बाल कल्याण समिति को व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करनी होगी (जिसमें बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकता, विशेष आवश्यकता, शैक्षिक, प्रशिक्षण,

भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, पुनर्वास, अनुवर्ती कार्रवाई, उसे समाज की मुख्य धारा में लाने, जीवन कौशल और सभी प्रकार के शोषण और दुरुपयोग से सुरक्षा संबंधी सूचना का उल्लेख किया जाना चाहिए)। इसके अतिरिक्त तीन माह बाद इसकी समीक्षा करनी होगी और यदि आवश्यक हो तो प्रगति के अनुसार संसोधन करना होगा।

8.2 शैक्षिक पुनर्वास:

श्रम से छुड़ाए गए बच्चों या खतरनाक रोजगार से छुड़ाए गए किशोरों को निम्नलिखित चरणों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) द्वारा उपयुक्त शिक्षा सुविधाओं से जोड़ा जाएगा:

- यदि बालक / बालिका 5-8 वर्ष के हो तो उसे शिक्षा के अधिकार के तहत सर्व शिक्षा अभियान से सीधे जोड़ा जाएगा।

- यदि बालक/बालिका 9-14 वर्ष के हो तो वह एनसीएलपी के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में दो वर्ष की सेतु (ब्रिज) शिक्षा में भाग लेगा और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अधीन विद्यालयों की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा।

- शैक्षिक पुनर्वास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के पेंसिल पोर्टल के अधीन तैयार किए जाने वाले सूचक कार्ड को एनसीएलपी के अधीन आने वाले जिला परियोजना सोसाइटी द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

- यदि किशोर/किशोरी 14-18 वर्ष के हों तो उसे भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

- छुड़ाए गए किशोरों के डेटा पेंसिल पोर्टल के माध्यम से कौशल विकास मंत्रालय को बताए जाएंगे।

8.3 आर्थिक पुनर्वास:

- पिछली मजदूरी: छुड़ाए गए सभी बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों को उनके रोजगार की अवधि को ध्यान में रखते हुए कम से कम न्यूनतम मजदूरी की दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

- केंद्रीय क्षेत्र के बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016 के अधीन उस स्थिति में 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता तत्काल दी जाएगी यदि बालक/किशोर बंधुआ मजदूर रहा हो। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने पर 3,00,000 रुपये तक अतिरिक्त मुआवज़ा उपलब्ध है।

- अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357क के अनुसार, यदि न्यायालय द्वारा मुआवज़े की सिफारिश की जाती है, तो यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) इस योजना के अधीन दिए जाने वाले मुआवज़े की मात्रा के संबंध में निर्णय लेंगे।

- आर्थिक मुआवज़ाः एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य - एआईआर 1997 एससीसी 699 न्याय निर्णय के अनुसार-

  - नियोक्ता द्वारा "बाल श्रमिक के पुनर्वास एवं कल्याण निधि" में प्रत्येक बच्चे के लिए 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस निधि का उपयोग केवल उस बच्चे के हितलाभ के लिए किया जाएगा।
  - इसके अतिरिक्त सरकार उस बालक / बालिका के परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रोजगार मुहैया कराएगी या इस निधि में 5,000 रुपये प्रति बालक/बालिका की दर से अंशदान करेगी।

- बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 14(ख) के अनुसार समुचित सरकार को प्रत्येक जिले अथवा दो या दो से अधिक जिलों में बाल और किशोर श्रम पुनर्वास निधि की स्थापना करनी होगी। सरकार द्वारा इस निधि में प्रत्येक बाल/ किशोर श्रमिक के संबंध में जुर्माने की रकम और 15,000 रुपये की अतिरिक्त रकम जमा की जाएगी। जमा की गई रकम और उससे उपचित आय को बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) केंद्रीय नियमावली के अनुसार उस बालक/किशोर को दिया जाएगा।

खंड 9: मॉनिटरिंग

बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों को लागू करने की मॉनिटरिंग, मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यापक मॉनिटरिंग तंत्र और बाह्य स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की जाएगी, ताकि कानून को सख्ती से लागू किया जा सके।

9.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय का मॉनिटरिंग तंत्र : पेंसिल पोर्टल

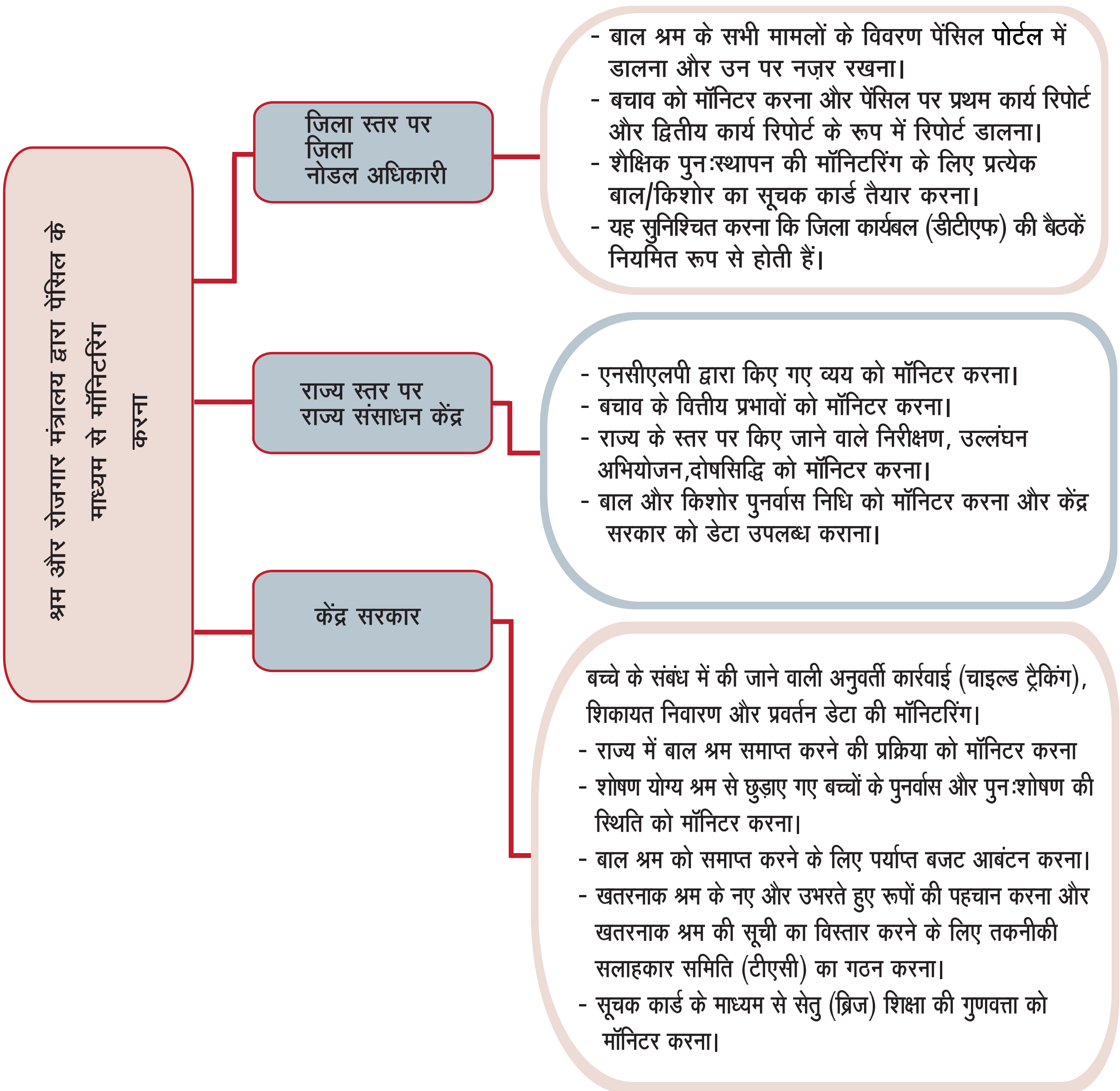

9.2 जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग तंत्र

केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर संगठित आयोगों को बाल श्रम संबंधी नीति के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने का दायित्व सौंपा गया है।

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य स्तर पर उसकी सहयोगी संस्थाएं मानव अधिकार के ऐसे किसी उल्लंघन पर ध्यान देंगी, जिसका समाधान नहीं किया गया है। इनमें बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगारों में लगे किशोरों के मामले भी शामिल होंगे।

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य के स्तर पर उसकी सहयोगी संस्थाएं तथा जिले के स्तर पर जिला बाल सुरक्षा इकाई को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे पूरे देश के बच्चों की सुरक्षा प्रणाली को मॉनिटर करें। हालांकि एक ओर जहां एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर कार्यान्वयन संबंधी नीति की समीक्षा करते हैं, वहीं जिला बाल सुरक्षा इकाई (डीसीपीयू) ज़मीनी स्तर की संस्थाओं जैसे कि, बाल-गृह, सामुदायिक स्तरीय मॉनिटरिंग समितियों आदि को विनियमित और मॉनिटर करती हैं।

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करे और कानून तथा योजनाओं के सम्मिलित कार्यान्वयन को मॉनिटर करें। उन्हें यह दायित्व भी सौंपा गया है कि वे प्रत्येक बच्चे की न्याय तक पहुंच को मॉनिटर करें।

खंड 10 : अलग-अलग अवस्थाओं में प्रवर्तन एजेंसियों और अन्यों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

"हमारा लक्ष्य - बाल श्रम मुक्त भारत"

क. जिला नोडल अधिकारी

क्रम संख्या	कार्य
निवारण	
1.	जिला कार्यबल (डीटीएफ) की मासिक बैठकें सुनिश्चित करना।
2.	मासिक बैठक में जिले के निवारण संबंधी क्रियाकलापों की प्रगति प्रस्तुत करना।
3.	पेंसिल के माध्यम से राज्य संसाधन केंद्र के साथ जिले के निवारण संबंधी क्रियाकलापों के विवरण साझा करना।
पहचान	
1.	अन्य माध्यमों (अर्थात टेलीफोन कॉल, ई-मेल, चाइल्ड लाइन, स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों के संबंध में स्कूल आदि के माध्यम) से प्राप्त सभी शिकायतों को तत्काल पेंसिल पोर्टल पर डालना।
2.	बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली के नियम 17घ के अनुसार नियमित रूप से निरीक्षण करना।
3.	किशोरों को गैर-खतरनाक कार्यों में नियोजित करने के लिए अधिनियम और नियमावली में उल्लिखित एवं इस मानक प्रचालन प्रक्रिया में दोहराए गए मापदंडों के सख़्ती से अनुपालन को मॉनिटर करना।
4.	विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का सत्यापन करना और यह पहचान करना कि क्या - • बालक को काम पर लगाया गया है या • किशोर को खतरनाक कार्य में लगाया गया है या • किशोर के नियोजन के लिए विनियमों का पालन नहीं किया गया है।
5.	बाल श्रमिक या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिक से संबंधित सत्यापित शिकायत को स्थानीय पुलिस स्टेशन/एसजेपीयू में दर्ज कराना।
6.	सभी शिकायतों पर कार्रवाई करना एवं शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर प्रथम कार्य रिपोर्ट (एफ़.ए. आर.) को पेंसिल पोर्टल पर डालना।
7.	जिले में बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण और पहचान के लिए जिला कार्यबल (डीटीएफ) के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना और तदनुसार कार्य-योजना तैयार करना।
8.	राज्य संसाधन केंद्र को जिला कार्यबल (डीटीएफ) की कार्य-योजना और कार्यवृत्त पेंसिल पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना।
बचाव से पहले की तैयारी	
1.	यह सुनिश्चित करें कि पुलिस के पास दर्ज सभी शिकायतों के संबंध में एफआईआर दायर की जाए। यदि पीड़ित के जीवन या स्वतंत्रता के लिए कोई खतरा हो, तो पुलिस के साथ समन्वय करके तत्काल उसका बचाव सुनिश्चित करें।
2.	मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार छुड़ाए गए प्रत्येक बाल श्रमिक के बचाव हेतु आवश्यक संसाधनों की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिसमें संभार तंत्र संसाधन, परिवहन, बचाव टीम के सदस्य, बच्चे के घर आदि को सूचित करने जैसी बातें शामिल हैं।

3.	बचाव के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।
बचाव	
1.	यह सुनिश्चित करें कि बचाव सभी सत्यापित शिकायतों या डीटीएफ की कार्ययोजना के अनुसार किया जाए।
2.	यह सुनिश्चित करें कि बचाव के दौरान पीड़ित को सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसमें परिवहन की सुविधाएं, आरोपी से पृथक रखने, अनुवादक/द्विभाषीया, काउंसलिंग, चिकित्सा देखभाल आदि की व्यवस्था शामिल हो।
3.	आगे की कार्रवाई के लिए कंपनी, फैक्ट्री आदि के पंजीकरण, लाइसेंस नंबर आदि जैसे विवरण एकत्र किए जाए।
4.	यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक उस स्थान पर रह न जाए।
बचाव के बाद की जाने वाली व्यवस्था	
1.	यदि बचाव से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, तो एफआईआर दर्ज करना सुनिश्चित करें।
2.	छुड़ाए गए बालक या किशोर को छुड़ाए जाने के 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के समक्ष पेश करें।
3.	जहां कहीं आवश्यक हो, आश्रय गृह (शेल्टर होम), तत्काल चिकित्सा देखभाल आदि की व्यवस्था करें।
पुनर्वास	
1.	जहां कहीं भी अपेक्षित हो, जिला कार्यबल (डीटीएफ) के साथ समन्वय करके बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के आदेशों के अनुसार बालक या किशोर श्रमिक की घर वापसी की व्यवस्था करें।
2.	प्रत्येक बालक या किशोर का बैंक खाता खोलें और बच्चे के नाम में जमा रकम पर उपचित ब्याज को ऐसे बैंक खातों में प्रत्येक 6 माह में एक बार अंतरित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे या किशोर के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बैंक खाते में मूल राशि के हस्तांतरण को भी सुनिश्चित करें।
3.	सूचक कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें और बाल खोजी प्रणाली (ट्रैकिंग सिस्टम) में बालक या किशोर श्रमिक को शामिल करें।
4.	मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के खंड 8 में बताए गए अनुसार पीड़ित को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मुआवज़ा देने के लिए सीडब्लूसी, एसएसए, एनसीएलपी परियोजना, जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के साथ समन्वय करें।
5.	पहली शिकायत प्राप्त होने के 21 दिन के अंदर पेंसिल पोर्टल पर द्वितीय कार्य रिपोर्ट (एसएआर) डालें, जिसमें बचाव के विवरण, पुनर्वास और सूचक कार्ड जारी करने जैसी बातें शामिल हों।
अनुवर्ती कार्रवाई	
1.	यह सुनिश्चित करें कि छुड़ाए गए सभी बच्चे/किशोर विद्यालय या कौशल विकास कार्यक्रम में जाएं।
2.	घोषित मुआवज़े, सामाजिक पुनर्वास योजना आदि के प्राप्त होने पर अलग-अलग बच्चे के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें।
3.	प्रत्येक विचारण की प्रगति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करें।
4.	अभियोजन की स्थिति सहित पेंसिल पोर्टल पर विधिक कार्य रिपोर्ट डालें।

ख. पुलिस/ विशेष किशोर पुलिस अधिकारी

क्रम सख्या	कार्य
निवारण	
1.	विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) के किसी अधिकारी को जिला कार्यबल की मासिक बैठक में भाग लेना होता है।
2.	एसजेपीयू को श्रम विभाग और जिला कार्यबल (डी़टी़एफ़) के साथ जिले में बाल श्रम संबंधी क्रियाकलापों के निवारण में शामिल होना होता है।
पहचान	
1.	बाल श्रमिक और खतरनाक कार्य में लगे किशोर श्रमिक के मामलों से संबंधित आसूचना एकत्र करने के लिए या आपके क्षेत्र में किसी अन्य बाल संरक्षण कानून का उल्लंघन करने के मामलों की अग्रलक्षी जांच करनी होती है।
2.	बाल श्रम से संबंधित संभावित अपराधों का पता लगाने के लिए अवैध व्यापारियों, दलालों, एजेंटों, मुखबिरों आदि पर डेटाबेस तैयार करें।
3.	खोए हुए बच्चों के डेटाबेस से एकत्र की गई सूचना का विश्लेषण करें।
4.	पारगमन बिंदु और गंतव्य क्षेत्रों में कार्यरत स्टेकहोल्डरों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ सशक्त नेटवर्क तैयार करें।
5.	अपने जिले में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए जिला कार्यबल (डीटीएफ) के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कार्य-योजना तैयार करें। जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) के साथ समन्वय करके इस कार्य-योजना की मासिक प्रगति को मॉनिटर करें।
6.	जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ), चाइल्ड लाइन और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को दर्ज करें।
बचाव से पहले तैयार की जाने वाली योजना	
1.	बाल श्रम से संबंधित शिकायतों के संबंध में एफआईआर करना सुनिश्चित करें। यदि पीड़ित के जीवन या स्वतंत्रता को कोइ खतरा हो, तो जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) के साथ समन्वय करके उनका तत्काल बचाव सुनिश्चित करें।
2.	जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करके व्यापक बचाव टीम गठित करें।
3.	पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिकों की भाषा संबंधी समस्या के समाधान के लिए संसाधन सुनिश्चित करें (अर्थात अनुवादक/द्विभाषीया की व्यवस्था करने के लिए डीएनओ, डीसीपीयू या डीएलएसए से संपर्क करें)। जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करके भोजन, वस्त्र, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशामक, वाहनों आदि की तत्काल व्यवस्था करें।
4.	बचाव के स्थान से एकत्र किए जाने वाले सभी साक्ष्यों को तैयार करना सुनिश्चित करें और फोटोग्राफर / वीडियो ग्राफर की सेवाएं लें।
5.	बचाव कार्य की गोपनीयता सुनिश्चित करें।
बचाव	
1.	उस कारखाने आदि को चलाने वाले जिम्मेदार मालिक/प्रबंधक की उपस्थिति सुनिश्चित करें ।
2.	यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित अर्थात बाल / किशोर श्रमिक को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। पीड़ित और आरोपी को तत्काल पृथक किया जाए।

3.	उस स्थान की पूरी खोज-बीन भली-भांति सुनिश्चित करें, ताकि कोई बालक या किशोर वहां रह न जाए।
4.	उचित प्रलेखन सहित साक्ष्य एकत्र करें।
5.	एफआईआर में शामिल करने के लिए संगत कानूनों का उल्लेख करें और यह सुनिश्चित करें कि एफआईआर तत्काल दर्ज की जाए।
बचाव के बाद की जाने वाली व्यवस्था	
1.	पीड़ित अर्थात बाल / किशोर श्रमिक को स्थिति के बारे में बताएं।
2.	यह सुनिश्चित करें कि विधिक सेवा प्राधिकारी और विधिव्यवसायी (पैरालीगल) स्वयं सेवकों को तत्काल शामिल किया जाए।
3.	यह सुनिश्चित करें कि उचित मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के बाद सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों के बयान दर्ज किए जाए।
4.	बच्चे को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करें और यदि अपेक्षित हो, तो जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि बीएलएसए, 1976 के अधीन मामला दर्ज किया जा सके।
5.	यह सुनिश्चित करें कि बाल कल्याण समिति के अनुदेशों के अनुसार छुड़ाए गए बालकों या किशोरों को बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) में या उपयुक्त व्यक्ति के पास या उपयुक्त संस्था में रखा जाए।
6.	पीड़ित (पीड़ितों) और गवाहों को अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करें।
जांच	
1.	एफआईआर दर्ज करें और जहां कहीं संगत हो, लगातार अपराधों के लिए धाराएं लगाएं।
2.	सभी पीड़ितों और / या गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
3.	यह सुनिश्चित करें कि जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए और यथाशीघ्र आरोप-पत्र दाखिल किया जाए।
4.	लोक अभियोजक या मामला प्रस्तुत करने वाले वकील को मामले की जानकारी दें और सहायता प्रदान करें।

ग. जिला मजिस्ट्रेट

क्रम सख्या	कार्य
निवारण	
1.	जिला कार्यबल (डीटीएफ) का गठन करें और मासिक बैठकें सुनश्चित करें। इस कार्य के लिए जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करें।
2.	जिले में निवारण संबंधी क्रियाकलापों के लिए योजना तैयार करें और जिला कार्यबल की मासिक बैठक में इसकी प्रगति पर नज़र रखें।
3.	बाल कलाकार और अन्य मनोरंजन में कार्यरत बच्चों को अनुमति दी जा सकती है। ऐसी अनुमति केवल 6 माह के लिए विधिमान्य होगी और यह अनुमति इस मानक प्रचालन प्रक्रिया के खंड 2.2ख और समय-समय पर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अन्य दिशा निर्देशों पर आधारित होगी।
4.	यह सुनिश्चित करें कि बाल कलाकार की कमाई का 20 प्रतिशत बच्चे के नाम के बैंक खाते में अंतरित हो, जिसे वह 18 वर्ष का होने पर ही निकाल सकता है।
पहचान	
1.	जिले में बाल श्रमिकों तथा खतरनाक रोजगार में लगे किशोर/श्रमिकों के सर्वेक्षण तथा पहचान के लिए जिला कार्यबल (डीटीएफ) के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करें।
2.	पहचान के आधार पर यह सुनिश्चित करें कि जिला कार्यबल (डीटीएफ) द्वारा बालश्रम को समाप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए ।
बचाव से पहले की तैयारी	
1.	यदि शिकायत के अनुसार पीड़ित के जीवन या स्वतंत्रता के लिए कोई खतरा हो, तो पुलिस और जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करके उनका तत्काल बचाव सुनिश्चित करें।
2.	यह सुनिश्चित करें कि छुड़ाए गए प्रत्येक बाल श्रमिक के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध किए जाते हैं, जिनमें इस मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार संभारतंत्र संबंधी संसाधन, परिवहन, बचाव दल के सदस्य, बच्चे के घर को सूचित करना आदि भी शामिल है।
बचाव	
1.	यह सुनिश्चित करें कि सभी सत्यापित शिकायतों के आधार पर या जिला कार्यबल की कार्य-योजना के अनुसार बचाव किया जाए।
2.	यह सुनिश्चित करें कि बचाव के दौरान पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान की जाए और कोई भी पीड़ित उस स्थान पर रह न पाए।

बचाव के बाद की जाने वाली व्यवस्था

1. सभी संगत बाल संरक्षण कानूनों के अधीन बाल श्रम और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रम के सभी मामलों के संबंध में एफआईआर के पंजीकरण को मॉनिटर करें।

2. यह सुनिश्चित करें कि सभी छुड़ाए गए बालकों या किशोरों को बचाव के 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाए।

3. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामलों को मॉनिटर करें और यह सुनिश्चित करें-
   - जहां कहीं आवश्यक हो, तत्काल चिकित्सा देखभाल मुहैया की जाए।
   - पीड़ित और आरोपी को तत्काल पृथक करें।
   - किसी भी बालक या किशोर को पूरी रात पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाए।
   - बच्चों की तत्काल देखभाल तथा दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए आश्रय गृह (शेल्टर होम), उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त सुविधा उपलब्ध हो।
   - जिस बच्चे को दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल (शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों) की आवश्यकता है, उसे वह उपलब्ध कराई जाए।

4. समय पर संक्षिप्त विचारण करें तथा मुक्त होने का प्रमाण-पत्र जारी करें, ताकि बीएलएसए, 1976 के अधीन अन्य प्रकार के मुआवज़े मिल सकें।

5. जिला कार्यबल के माध्यम से बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के सभी मामलों की जांच की प्रगति को मॉनिटर करें।

6. अपराधों के संबंध में समझौते (कम्पाउंडिंग) हेतु श्रम निरीक्षकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करें।

पुनर्वास

1. जहां कहीं भी अपेक्षित हो, जिला कार्यबल के साथ समन्वय करके बाल कल्याण समिति के आदेशों के अनुसार पीड़ित बालक और किशोर की घर वापसी की व्यवस्था करें।
2. मानक प्रचालन प्रक्रिया के खंड 8 में बताए गए मुआवज़े सहित पीड़ित को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मुआवज़ा संबंधी पुनर्वास सेवाओं की प्राप्ति को मॉनिटर करें।

घ. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटी के परियोजना निदेशक

क्रम सख्या	कार्य
निवारण	
1.	जिला कार्यबल के कार्य की प्रगति के संबंध में जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करना।
2.	जिले में बाल श्रम और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रम के निवारण संबंधी क्रियाकलापों के लिए योजना तैयार करना।
3.	बाल श्रम और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रम को समाप्त करने के लिए अध्यापक, पीआरआई जैसे प्रमुख सामुदायिक स्तरीय स्टेकहोल्डरों का क्षमता निर्माण करना।
पहचान	
1.	बाल श्रमिकों की पहचान के लिए समयबद्ध तरीके से एनसीएलपी सर्वेक्षण।
2.	पहचान के आधार पर यह सुनिश्चित करें कि जिला कार्यबल ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कार्य-योजना तैयार की है।
3.	एनसीएलपी कार्यक्रम में सूचीबद्ध बाल श्रमिकों या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के संबंध में यदि पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तो पुलिस के पास शिकायत दर्ज करें।
बचाव में सहायता	
	बाल श्रमिकों या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों को छुड़ाने के लिए जिला नोडल अधिकारी और पुलिस को अपेक्षित सहयोग दें।
पुनर्वास	
1.	जहां कहीं अपेक्षित हो, जिला कार्यबल के साथ समन्वय करके बाल कल्याण समिति के आदेशों के अनुसार पीड़ित बालक या किशोर श्रमिक की घर वापसी की व्यवस्था करना।
2.	एनसीएलपी सेतु (ब्रिज) विद्यालयों में नामांकित बच्चे के संबंध में सूचक कार्ड तैयार करना, यदि जिला नोडल अधिकारी ने उसे तैयार न किया हो।
3.	छुड़ाए गए पीड़ित बच्चे को एनसीएलपी कार्यक्रम या छुड़ाए गए पीड़ित किशोर को कौशल विकास कार्यक्रम में नामांकित करने के लिए सहयोग देना।
4.	इस मानक प्रचालन प्रक्रिया के खंड 8 में बताए गए मुआवजों सहित पीड़ित के लिए सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मुआवज़े के संबंध में पुनर्वास सेवाओं की प्राप्ति को मॉनिटर करना।
अनुवर्ती कार्रवाई	
1.	सूचक कार्ड में अनुवर्ती वर्ष के लिए एनसीएलपी कार्यक्रम में छुड़ाए गए पीड़ित बच्चों की प्रगति को मॉनिटर करना।
2.	सूचक कार्ड के माध्यम से विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं और मुआवजों की प्राप्ति को मॉनिटर करना।

ङ राज्य संसाधन केंद्र / राज्य श्रम विभाग

क्रम संख्या	कार्य
निवारण	
1.	राज्य स्तरीय निवारण संबंधी क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना।
2.	प्रत्येक जिले के निवारण संबंधी क्रियाकलापों और एनसीएलपी सोसाइटी और जिला नोडल अधिकारी को निवारण के लिए आबंटित निधि के उपयोग को मॉनिटर करना।
3.	पेंसिल पोर्टल पर निवारण संबंधी सूचना डालना।
4.	मानक प्रचालन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए एनसीएलपी स्टाफ, श्रम निरीक्षकों और जिला स्तरीय अन्य कार्यान्वयन अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना।
पहचान:	
1.	प्राप्त शिकायतों पर जिला नोडल अधिकारी द्वारा समय पर कार्रवाई करने को मॉनिटर करना (जिला नोडल अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी) और आवश्यक कार्रवाई करना।
2.	राज्य में बाल श्रम सर्वेक्षण को मॉनिटर करना।
3.	इस मामले के संबंध में श्रम निरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों की योजना तैयार करना और उसके कार्यान्यिन को मॉनिटर करना।
4.	जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कार्य रिपोर्ट (एसएआर) को मॉनिटर करना।
बचाव में सहायता	
	संभारतंत्र संबंधी सहायता तथा वाहनों आदि के लिए निधि के रूप में बाल श्रमिकों या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों को छुड़ाने के लिए जिला नोडल अधिकारी और पुलिस को अपेक्षित सहयोग देना।
पुनर्वास	
1.	जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कार्य रिपोर्ट (एसएआर) को मॉनिटर करना।
2.	प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में बालक और किशोर श्रमिक निधि का गठन सुनिश्चित करना।
3.	पेंसिल पोर्टल पर तैयार किए गए बालक और किशोर श्रम निधि के संबंध में सूचना देना।
अनुवर्ती कार्रवाई	
1.	एनसीएलपी कार्यक्रम में छुड़ाए गए पीड़ित बच्चे की प्रगति को मॉनिटर करना।
2.	विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं के अधीन होने वाली प्राप्तियों और श्रम कानूनों तथा अन्य लागू किए गए केंद्रीय और राज्य कानूनों तथा योजनाओं के अधीन दिए जाने वाले मुआवज़े को मॉनिटर करना।
3.	राज्य स्तर पर एकत्र किए गए डेटा के आधार पर बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार को परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देना।

च. राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

क्रम संख्या	कार्य
निवारण	
1.	जिला कार्यबल (डीटीएफ) की मासिक बैठकों में भाग लें और अपराधियों के अभियोजन संबंधी चुनौतियों के बारे में अनेक स्टेकहोल्डरों को बताएं।
2.	निवारण संबंधी क्रियाकलाप के भाग के रूप में बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाकर सहयोग दें।
3.	जिला कार्यबल (डीटीएफ) के स्टेकहोल्डरों सहित क्षमता निर्माण की पहलों के अंग के रूप में बच्चों की सुरक्षा के प्रति कानूनी जागरूकता पैदा करने में राज्य संसाधन केंद्र और एनसीएलपी को सहयोग दें।
बचाव में सहयोग	
1.	यह सुनिश्चित करें कि बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी मामलों में गठित बचाव टीम में एक वकील या विधि व्यवसायी (पैरालीगल) शामिल हो।
2.	बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के मामले में एफआईआर दायर करने में सहयोग दें।
3.	बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के मामलों में कानूनी सहयोग और कानूनी परामर्श दें।
अभियोजन	
1.	बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराएं।
2.	विचारण की प्रगति के संबंध में कानूनी कार्य रिपोर्ट (एलएआर) तैयार करने में जिला नोडल अधिकारी को सहयोग दें।

छ. बाल कल्याण समिति

क्रम संख्या	कार्य
बचाव	
1.	जिला कार्यबल (डीटीएफ) की मासिक बैठकों में भाग लें और बाल श्रम और खतरनाक रोजगार में जुड़े किशोर श्रम को समाप्त करने के लिए तैयार की गई कार्य-योजना के कार्यान्वयन में सहयोग दें।
2.	यह सुनिश्चित करें कि बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के बचाव टीम में एक सदस्य शामिल हो।
3.	यह सुनिश्चित करें कि बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों की तत्काल देखभाल की जाए और किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार उन्हें 24 घंटे के अंदर समिति के समक्ष पेश किया जाए।
पुनर्वास	
	बाल श्रम और खतरनाक रोजगार में जुड़े किशोर श्रम के सभी पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जिला नोडल अधिकारी के साथ सूचना का आदान-प्रदान करें।

ज. शिक्षा विभाग और विद्यालय

क्रम संख्या	कार्य
निवारण	
1.	सभी बच्चों का स्कूल में 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करें।
2.	विद्यालय के पाठ्यक्रमों में बाल श्रम और बाल अधिकारों के बारे में सामग्री सम्मिलित करें।
3.	बाल श्रमिक और किशोर श्रमिकों के मुद्दों को भली-भांति समझने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करें और बालक और किशोर श्रम अधिनियम तथा नियमावली और बाल संरक्षण संबंधी संस्थागत तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करें ।
4.	जिला शिक्षा अधिकारी को जिला कार्यबल (डीटीएफ) की मासिक बैठकों में भाग लेना होगा और बाल श्रमिकों से संबंधित कार्य-योजना के कार्यान्वयन में योगदान देना होगा।
पहचान	
	लगातार 30 दिन तक विद्यालय न आने वाले बच्चों और ऐसे बाल कलाकारों, जो जिला प्रशासन को बताए बिना काम पर लगाए जा रहे हों, उनके बारे में अध्यापक द्वारा सूचना देनी होगी।
पुनर्वास	
	बाल श्रमिकों का सर्व शिक्षा अभियान के तहत नामांकन या पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना।

अनुबंध

बाल श्रम संबंधी शिकायतों का प्रवाह पथ और पेंसिल (PENCIL) पोर्टल पर किए जाने वाले कार्य

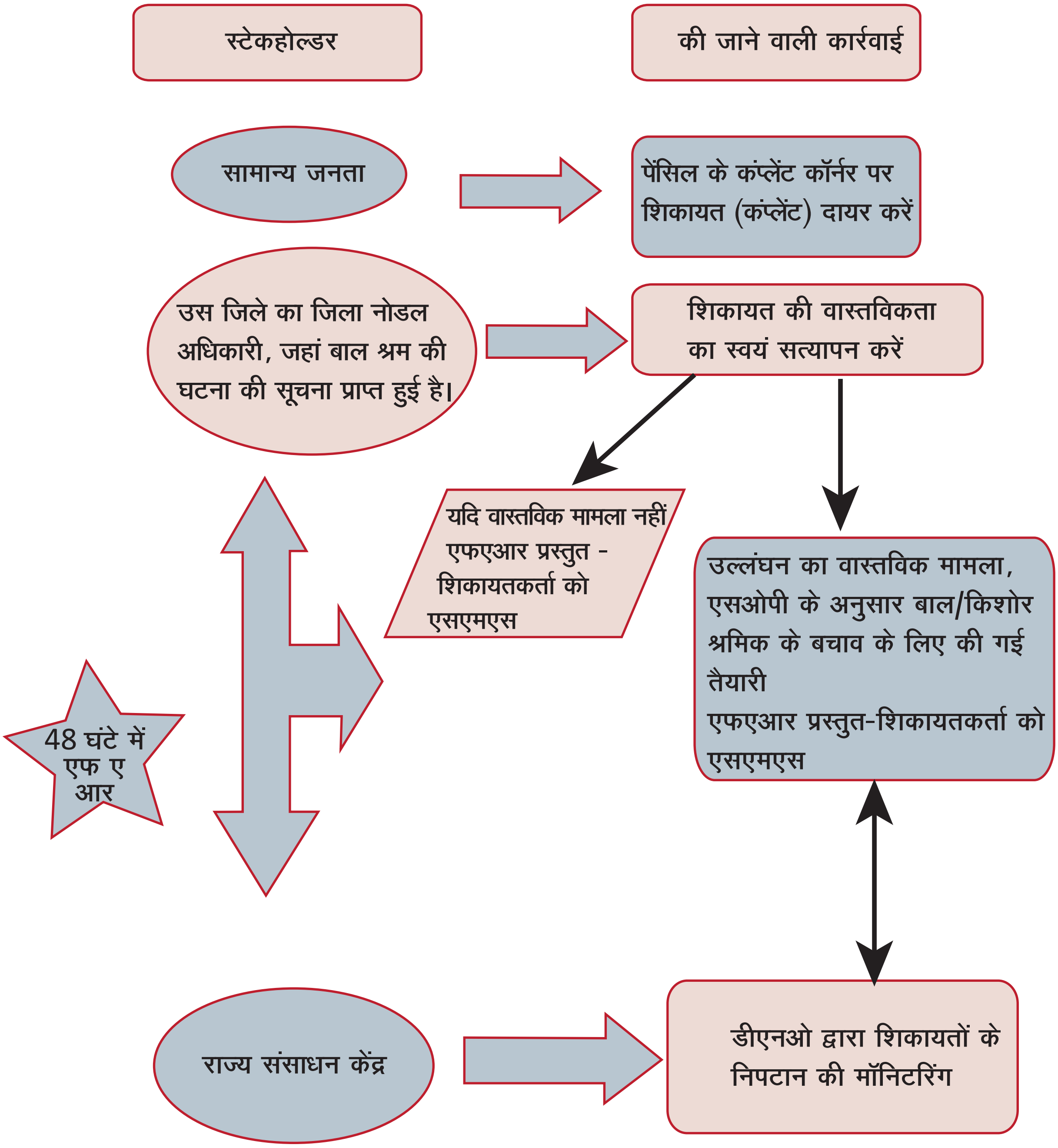

संक्षिप्तियों की सूची

1. बीएलएसए- द बॉन्डेड लेबर सिस्टम (एबोलिशन) एक्ट, 1976 (बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976)
2. सी एण्ड एएल (पी एण्ड आर) एक्ट - चाइल्ड एण्ड एडोलेसेंट लेबर (प्रोहिबिशन एण्ड रेगुलेशन) एक्ट [बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
3. सीसीआई- चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन (बालक देखभाल संस्थाएँ)
4. सीडब्लूसी- चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी (बाल कल्याण समिति)
5. डीसीपीओ-डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर (जिला बाल संरक्षण अधिकारी)
6. डीसीपीयू- डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट (जिला बाल संरक्षण इकाई)
7. डीएम- डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट)
8. डीटीएफ- डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स (जिला कार्यबल)
9. डीएलएसए- डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
10. आईपीसी- इंडियन पैनल कोड (भारतीय दंड संहिता)
11. आईसीपीएस- द इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम (एकीकृत बाल संरक्षण योजना)
12. आईएलओ- इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन)
13. आईटीपीए- इमॉरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट (अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम)
14. जेजे एक्ट- जूवनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 (किशोर न्याय अधिनियम, 2015)
15. एमओडब्लूसीडी- मिनिस्ट्री ऑफ विमन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट (महिला और बाल विकास मंत्रालय)
16. एनएएलएसए- नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)
17. एनसीएलपी- नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट (राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना)
18. एनसीपीसीआर- द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग)
19. एनजीओ- नॉन- गवर्मेंटल आर्गनाईजेशन - (गैर-सरकारी संगठन)
20. एनएचआरसी- नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग)
21. पीओसीएसओ- द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट (यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम)
22. एससीपीसीआर- स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग)
23. एसडीजी-सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (संपोषणीय विकास लक्ष्य)
24. एसएचआरसी- स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन (राज्य मानव अधिकार आयोग)
25. एसजेपीयू- स्पेशल जूवनाइल पुलिस यूनिट (विशेष किशोर पुलिस इकाई)
26. एसएलएसए- स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (विशेष विधिक सेवा प्राधिकरण)
27. एसएमसी- स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (विद्यालय प्रबंधन समिति)
28. टीएसी- टेक्नीकल एडवाइज़री कमेटी (तकनीकी सलाहकार समिति)

"हमारा लक्ष्य - बाल श्रम मुक्त भारत"

सत्यमेव जयते

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार

"हमारा लक्ष्य - बाल श्रम मुक्त भारत"

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001, भारत

वेबसाइट: www.labour.gov.in

फेसबुक: https://facebook.com/LabourMinistry

ट्विटर: https://twitter.com/labourministry